

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)
(Constituted Under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
(1996-97)
Annual Report and Audited Accounts
(1996-97)




61-65 इस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली - 110058
61-65 INSTITUTIONAL AREA, JANAK PURI
NEW DELHI-110058


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



निबन्धक एवं सचिव



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058

वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10-8-71 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ। केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता/मान्यता को वापिस लिये जाने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिसमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

केन्द्रीय परिषद् ने पहले से ही विहित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के विभिन्न विषयों के पाठ्यविवरण और पाठ्यविधि की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला आयोजित की जाय। तदनुसार स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान आयुर्वेद की दो कार्यशालाएं और यूनानी की तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। सिद्ध शिक्षा पर शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय खोलने की शर्तों की समय-समय पर पुनरीक्षा की है। प्रकरण पर विमर्श के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि नया महाविद्यालय खोलने के इच्छुक संस्थान को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी।

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई भी महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमति के बिना आरम्भ नहीं होगा।

2. केन्द्रीय परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय खोलने की इच्छुक प्रबन्ध समिति (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन) अपनी राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् से सम्पर्क स्थापित करे।
3. राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट शब्दों में इंगित करें कि क्या वे गैर-सरकारी संगठन द्वारा महाविद्यालय प्रारम्भ करने के पक्ष में हैं अथवा नहीं।
4. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) लिखित रूप में अपनी इच्छा, कि यदि केन्द्रीय परिषद् महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति देता है, तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता देने की अनुमति प्रस्तुत करेंगे।
5. महाविद्यालय (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) की प्रबन्ध समिति केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा अनुशंसित कर्मचारी वर्ग, स्थान और साज-सज्जा के विस्तृत विवरणिका तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा यथा विहित न्यूनतम स्तरों को चरणबद्ध पद्धति से लागू करने के लिए एक लिखित आश्वासन देना होगा।
6. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) द्वारा उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित पर्याप्त सुविधाएं होने हेतु आश्वासन।
7. प्रबन्ध समिति उपाधि पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में अनुशंसाओं के अनुसार पर्याप्त प्रशासनिक और शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
8. महाविद्यालय आश्वासन दे कि 1:5 छात्र शय्या के अनुपात में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायगा।
9. बहिरंग और अन्य आवश्यकताओं, जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बढ़ाया जा सके, के साथ 100 शय्याओं वाला आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब अस्पताल हो।
10. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति उपाधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष तक पूरा होने वाले एक सुसज्जित अस्पताल के निर्माण की योजना प्रस्तुत करे।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में एक है। प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो तत्समय किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अहर्ताओं में से कोई भी रखते हैं। केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को अनुरक्षित करती है और उसको आद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

परिषद् द्वारा अध्ययन हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तर और पाठ्यविधि निर्धारित किए जा चुके हैं। परिषद् देश की इन शैक्षिक संस्थाओं में परिदर्शन हेतु सदस्यों का दल भेज कर इन महाविद्यालयों में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी रखती है। परिदर्शक कमियों को इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन कमियों को निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए अथवा अगले सत्र में प्रवेश बन्द करने के लिए संस्थाओं को निर्देश भेजे जा रहे हैं।

यह अंकित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इनके परिणाम फलदायक रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय के वर्तमान स्तर का आकलन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सामूहिक परिदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालनार्थ केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण एवं साज-सज्जा हेतु उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने हेतु वर्ष के दौरान आयुर्वेद के 92 और यूनानी के 14 महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1997 को रजत जयन्ती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 20 मार्च, 1997 को रजत जयन्ती समारोह मनाया गया। श्री सलीम इकबाल शेरवानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन किया। श्रीमती शान्ता शास्त्री, श्री प्रदीप भागवत, क्रमशः सचिव और संयुक्त सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को समारोह में सम्मानित किया गया। भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा विशेष भाषण दिए गए। वैद्यराज बृहस्पतिदेव त्रिगुणा और आचार्य प्रियव्रत शर्मा (बनारस) ने आयुर्वेद पर हकीम एम.एस. उस्मानी ने यूनानी पर और डॉ. जे. आर. कृष्णामूर्ति ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर अपने उद्गार प्रस्तुत किए।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के नियमित सदस्य के रूप में 25 वर्ष पूरे करने और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने वाले भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अकेले सदस्य डॉ. मदन सरूप गुप्ता, समस्त भूतपूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निबन्धकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अपना योगदान दिया, को सम्मानित किया गया।

18 एवं 19 मार्च, 1997 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। श्रीमती शान्ता शास्त्री, सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 मार्च, 1997 को परिषद् को सम्बोधित किया और भारत सरकार के विचारों को इंगित किया। उन्होंने दोहराया कि भारत सरकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धति के स्नातकीय और स्नातकोत्तर शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को सुधारना और अपेक्षित आवश्यकताओं के बिना चल रहे संस्थानों की कुकुरमुत्ता वृद्धि को रोकना चाहती है।

परिषद् ने संकल्प लिया कि राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के हित एवं विकास हेतु गठित सभी समितियों में केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित करने हेतु

राज्य सरकारों को पत्र लिखा जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा जाय कि आयुर्वेद और अन्य स्नातकों के समान यूनानी स्नातकों को भी समान स्तर और पदोन्नति के समान अवसर दिए जाएं ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों के मध्य सभी स्तरों पर समानता बनाई जा सके।

प्रशासनिक प्रतिवेदन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

तृतीय गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

1. डॉ० मेरी वमन रेड्डी
2. डॉ० सिवानन्दम
3. डॉ० गजेन्द्र भराली
4. डॉ० देवव्रत नारायण सिंह
5. डॉ० महेश्वर पांडे
6. डॉ० इन्द्रमोहन झा
7. डॉ० अलख नारायण सिंह
8. डॉ० ओमप्रकाश वशिष्ठ
9. डॉ० पटेल अरविन्द केशवलाल
10. डॉ० भूपतानी रमेशचन्द्र
11. डा० पवन कुमार वशिष्ठ
12. डॉ० देवनारायण शर्मा
13. डॉ० रुद्रमणि शर्मा
14. डॉ० ज्ञानचन्द्र
15. डॉ० जयप्रकाश नारायण
16. डॉ० एस० वी० सावदी
17. डॉ० के० राजगोपालन
18. डॉ० डी० रामनाथन
19. डॉ० रणवीर सिंह परिहार
20. डॉ० प्रमोद कुमार जैन
21. डॉ० राजेश शुक्ल
22. डॉ० सतीशदत्त गर्ग
23. डॉ० ज्ञानकुमार आहूजा
24. वैद्य शाहकिशन विट्टल दास
25. वैद्य रमेश कृष्ण यादव
26. वैद्य एन. वी. साल्वरकर
27. डॉ० घनश्याम मिश्र

28. वैद्य जगजीत सिंह
29. डॉ० मुकेश वालिया
30. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
31. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
32. वैद्य रघुनन्दन शर्मा
33. डॉ० पी० नारायणन
34. डॉ० मुकेश शर्मा
35. डॉ० पातंजलि द्विवेदी
36. डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी
37. डॉ० भृगुपति पांडेय
38. डॉ० किशोर मोहन
39. डॉ० स्वप्न कुमार भूनिया
40. डॉ० रमेश चन्द्र भट्टाचार्य
41. वैद्य के० के० झाला
42. डॉ० सुखदेव राज वत्स
43. डॉ० एस० सी० हूगर
44. डॉ० के० आर० रामचन्द्रन
45. डॉ० बी० जी० गोपीनाथ
46. डॉ० संगप्पा एस० होसमणि
47. डॉ० पी० के० वारियर
48. डॉ० पी० के० मोहनलाल
49. डॉ० आनन्द स्वरूप उपाध्याय
50. डॉ० टी० एम० पवार
51. डॉ० आर० वी० सहगोरा
52. वैद्य दीनानाथ आर० उपाध्याय
53. वैद्य जी० पी० उपाध्याय
54. वैद्य रोहीदास सम्भु पाटिल
55. वैद्य मोहन नारायण ताम्बे
56. डॉ० कैलाश चन्द्र पाढी
57. वैद्य रामभरोसी मिश्र
58. डॉ० डी० अथस्यराज
59. डॉ० सर्वदेव उपाध्याय
60. डॉ० लक्ष्मी नारायण मैती
61. डॉ० टी० किशन
62. वैद्य सुहास नारायण परचुरे
63. वैद्य एस० पी० भट्टाचार्य
64. वैद्य आई० संजीवाराव
65. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा

66. वैद्य शिवकुमार मिश्र
67. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा
68. वैद्य जी० एल० चानना
69. प्रो० कुलवन्त सिंह
70. वैद्य एस० सी० सांख्यधर
71. प्रो० आर० भरतराजन
72. वैद्य श्रीराम शर्मा
73. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगणी
74. वैद्य संजय जनार्दन तिलक
75. वैद्य अब्दुल वहीद
76. प्रो० वेदव्रत शर्मा
77. डॉ० सी० एच० एस० शास्त्री
78. वैद्य हरिनारायण स्वामी
79. वैद्य बी० वैद्यनाथन
80. प्रो० ज्योतिर्मित्र आचार्य
81. डॉ० (श्रीमती) साधना मिश्र
82. वैद्य बालेन्दु प्रकाश

सिद्ध

83. डॉ० वी० स्टेन्ले जोन्स
84. डॉ० एस० गोपाल कृष्णन
85. डॉ० वी० अरुणाचलम
86. डॉ० वी० सुब्रह्मण्यम
87. डॉ० एम० ए० कुमार

यूनानी

88. डॉ० एम० एस० गुप्ता
89. हकीम ए० जे० खान
90. हकीम श्रीमती अलिया अमान
91. डॉ० रामदिता शर्मा
92. प्रो० हकीम एस० खलीफथुल्लाह
93. हकीम सैफुद्दीन अहमद
94. डॉ० एस० एस० रावत
95. हकीम फारूक अहमद अब्दुल अजीज
96. डॉ० दौलतराम भराज
97. डॉ० विनोद पुण्डरी
98. डॉ० बन्सीलाल पण्डित
99. प्रो० हकीम एस० शाजी हैदर
100. डॉ० मौ० अख्तर मसूद सिद्दीकी

101. प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान
102. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
103. हकीम सऊद अली खान
104. डॉ० के० शफीउल्लाह खान
105. हकीम शमीम अहमद
106. हकीम हाफिज एस० हबीबुर्रहमान
107. हकीम सैय्यद फैजान अहमद
108. डॉ० ताहिरा बानू
109. हकीम जमील अहमद
110. हकीम मोहम्मद अशरफ करीम
111. डॉ० सैय्यद शाहबुल हक
112. प्रो० हकीम शेख मोहम्मद अरशद
113. ~~हकीम अब्दुल्ला खान~~
114. ~~हकीम सैय्यद आद मुन्ताजिबुद्दीन कादरी~~
115. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद
116. डॉ० अबू बकर खान

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं :-

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. वैद्य श्रीराम शर्मा | - अध्यक्ष |
| 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी | - उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) |
| 3. डॉ० व्ही सुब्रह्मण्यम | - उपाध्यक्ष (सिद्ध) |
| 4. प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान | - उपाध्यक्ष (यूनानी) |
| 5. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 6. डॉ० प्रमोद कुमार जैन | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 7. डॉ० सिवानन्दनम | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 8. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 9. डॉ० एम० ए० कुमार | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 10. डॉ० मदन सरूप गुप्ता | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |
| 11. हकीम शेख मोहम्मद अरशद | - सदस्य (कार्यकारिणी समिति) |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं :-

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है, के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम, एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की संख्या-5, के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया -

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- | | | |
|----------|---|---------------------------------|
| सभापति | - | 1. वैद्य आई० संजीवा राव |
| उपसभापति | - | 2. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी |
| सदस्य | - | 3. डॉ० बी० आर० सी० अमृतलाल |
| सदस्य | - | 4. डॉ० पी० नारायणन |
| सदस्य | - | 5. डॉ० राजेश शुक्ला |
| सदस्य | - | 6. डॉ० अलखनारायण सिंह |
| सदस्य | - | 7. डॉ० एस० सी० हूगर |
| सदस्य | - | 8. डॉ० ज्ञान कुमार आहूजा |
| सदस्य | - | 9. डॉ० ए० एस० उपाध्याय |
| सदस्य | - | 10. डॉ० एस० के भूनिया |
| सदस्य | - | 11. डॉ० आर० के० यादव |
| सदस्य | - | 12. डॉ० के० सी० पाढ़ी |
| सदस्य | - | 13. डॉ० एस० गोपाल कृष्णन |
| सदस्य | - | 14. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद |
| सदस्य | - | 15. हकीम के० शफीउल्लाह खान |
| सदस्य | - | 16. डॉ० बंसीलाल पंडित |
| सदस्य | - | 17. डॉ० दौलतराम भराज |
| सदस्य | - | 18. डॉ० एस० एस० रावत |

पंजीयन समिति

परिषद् ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशासनात्मक करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

| | |
|----------|-------------------------------|
| सभापति | 1. डॉ० जयप्रकाश नारायण |
| उपसभापति | 2. डॉ० ए० के० पटेल |
| सदस्य | 3. डॉ० पवन कुमार वशिष्ठ |
| सदस्य | 4. डॉ० देवनारायण शर्मा |
| सदस्य | 5. डॉ० सतीशदत्त गर्ग |
| सदस्य | 6. डॉ० डी० रामनाथन |
| सदस्य | 7. डॉ० बी० जी० गोपीनाथ |
| सदस्य | 8. डॉ० आर० भारतराजन |
| सदस्य | 9. डॉ० डी० अथस्यराज |
| सदस्य | 10. वैद्य रोहिदास शम्भू पाटिल |
| सदस्य | 11. डॉ० ज्ञान कुमार आहूजा |
| सदस्य | 12. डॉ० एन० वी० साल्गरकर |
| सदस्य | 13. डॉ० महेन्द्र कुमार शर्मा |
| सदस्य | 14. डॉ० मेरी वमन रेड्डी |
| सदस्य | 15. डॉ० रामदत्ता शर्मा |
| सदस्य | 16. हकीम अख्तर मसूद सिद्दीकी |
| सदस्य | 17. हकीम सऊद अली खान |
| सदस्य | 18. डॉ० व्ही० स्टेनले जोन्स |

वित्त समिति

परिषद् के वित्त सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए परिषद् ने वित्त समिति का गठन किया।

वित्त समिति के निम्न सदस्य हैं :-

| | |
|----------|---------------------------|
| सभापति | 1. वैद्य गौरीलाल चानना |
| उपसभापति | 2. हकीम अबू बकर खान |
| सदस्य | 3. डॉ० एम० ए० कुमार |
| सदस्य | 4. डॉ० मुकेश वालिया |
| सदस्य | 5. वैद्य एस०सी० साख्यंधर |
| सदस्य | 6. डॉ० के० आर० रामचन्द्रन |
| सदस्य | 7. डॉ० डी० रामनाथन |
| सदस्य | 8. डॉ० एस०एस० रावत |
| सदस्य | 9. हकीम शेख मोहम्मद अरशद |

शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी)

शिक्षा समितियों (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) की शिक्षा से सम्बन्धी समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| सभापति | 1. वैद्य शिवकुमार मिश्र |
| पदेनसदस्य | 2. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) |
| सदस्य | 3. वैद्य वेद प्रकाश त्यागी |
| सदस्य | 4. प्रो० वेदव्रत शर्मा |
| सदस्य | 5. डॉ० सी०एच०एस० शास्त्री |
| सदस्य | 6. डॉ० किशोर मोहन |
| सदस्य | 7. वैद्य एस०के० शर्मा |
| सदस्य | 8. वैद्य भृगुपति पाण्डेय |
| सदस्य | 9. डॉ० शाहकिशन विट्टलदास |
| सदस्य | 10. डॉ० जगजीत सिंह |
| सदस्य | 11. डॉ० घनश्याम मिश्र |
| सदस्य | 12. वैद्य हरिनारायण स्वामी |
| सदस्य | 13. डॉ० लक्ष्मीनारायण मैती |
| सदस्य | 14. वैद्य के०के० झाला |
| सदस्य | 15. प्रो० कुलवन्त सिंह |
| सदस्य | 16. डॉ० रुद्रमणि शर्मा |
| सदस्य | 17. डॉ० संगप्पा एस० होसमणि |
| सदस्य | 18. डॉ०एस०वी० सावदी |
| सदस्य | 19. डॉ०ओ०पी० वशिष्ठ |
| सदस्य | 20. डॉ० सुखदेव राज वत्स |
| सदस्य | 21. डॉ०आर०सी० भट्टाचार्य |
| सदस्य | 22. डॉ० दीनानाथ आर० उपाध्याय |
| सदस्य | 23. डॉ० के० राजगोपालन |
| सदस्य | 24. वैद्य गौरीलाल चानना |
| सदस्य | 25. डॉ०डी० रामनाथन |
| सदस्य | 26. प्रो० ज्योतिर्मित्र आचार्य |
| सदस्य | 27. वैद्य ए०एस० उपाध्याय |
| सदस्य | 28. वैद्य सुहास नारायण परचुरे |
| सदस्य | 29. डॉ०आर०वी० सहगौरा |
| सदस्य | 30. डॉ० मुकेश शर्मा |
| सदस्य | 31. डॉ० इन्द्र मोहन झा |
| सदस्य | 32. डा० एस० पी० भट्टाचार्य |
| सदस्य | 33. डॉ० वाचस्पति त्रिवेदी |
| सदस्य | 34. डॉ० रणवीर सिंह परिहार |

सिद्ध

| | | |
|----------|----|-------------------------|
| सभापति | 1. | डॉ० व्ही० सुब्रह्मण्यम |
| उपसभापति | 2. | डॉ० व्ही० अरुणाचलम् |
| सदस्य | 3. | डॉ०एस० गोपालाकृष्णन |
| सदस्य | 4. | डॉ० एम० ए० कुमार |
| सदस्य | 5. | डॉ० व्ही० स्टेनले जोन्स |

यूनानी

| | | |
|------------|-----|-------------------------------------------------|
| सभापति | 1. | प्रो० हकीम जमील अहमद |
| उपसभापति | 2. | प्रो० हकीम शहाबुलहक |
| पदेन सदस्य | 3. | प्रो० हकीम अब्दुल मोबिन खान (उपाध्यक्ष, यूनानी) |
| सदस्य | 4. | प्रो० हकीम सैय्यद शाजी हैदर |
| सदस्य | 5. | प्रो० हकीम एस० इमामुद्दीन अहमद |
| सदस्य | 6. | हकीम ए०जे० खान |
| सदस्य | 7. | हकीम सऊद अली खान |
| सदस्य | 8. | हकीम वेदप्रकाश शर्मा |
| सदस्य | 9. | हकीम मोहम्मद अशरफ करीम |
| सदस्य | 10. | प्रो० हकीम अबू बकर खान |
| सदस्य | 11. | प्रो० हकीम शेख मोहम्मद अरशद |
| सदस्य | 12. | हकीम (श्रीमती) अलिया अमान |
| सदस्य | 13. | डॉ० एस० एस० रावत |
| सदस्य | 14. | हकीम बंसीलाल पंडित |
| सदस्य | 15. | हकीम (श्रीमती) ताहिरा बानू |
| सदस्य | 16. | डॉ० मदन सरूप गुप्ता |
| सदस्य | 17. | हकीम के० शफीउल्ला खान |
| सदस्य | 18. | हकीम शमीर अहमद |
| सदस्य | 19. | हकीम हाफिज एस० हबीबुरहमान |

वर्ष 1996-97 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईं :

| | |
|----|----------------------------------|
| 1. | भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् |
| 2. | आयुर्वेद समिति |
| 3. | सिद्ध समिति |
| 4. | यूनानी समिति |
| 5. | कार्यकारिणी समिति |
| 6. | पंजीयन समिति |
| 7. | विनियम समिति |
| 8. | वित्त समिति |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9. | शिक्षा समिति (आयुर्वेद) | 2 |
| 10. | शिक्षा समिति (सिद्ध) | 1 |
| 11. | शिक्षा समिति (यूनानी) | 1 |
| 12. | शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की उपसमिति | 5 |
| 13. | कार्यकारिणी समिति की उपसमिति | 1 |
| 14. | आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के संहिता, इतिहास और मौलिक सिद्धान्त पर कार्यशाला | 1 |
| 15. | आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के रचना शरीर और क्रिया शरीर विषय के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला | 1 |
| 16. | यूनानी तिब्ब के स्नातकीय पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण हेतु कार्यशाला | 1 |
| 17. | यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविधि पर कार्यशाला | 1 |
| 18. | यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविधि एवं न्यूनतम स्तर पर कार्यशाला | 1 |
| 19. | पंजीयन समिति की उप-समिति की बैठक - | 1 |

परिषद् द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाएं निम्न हैं :

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर समय-समय पर विचार किया गया और भारतीय चिकित्सा पद्धति को परिभाषित करने हेतु समय-समय पर कई प्रस्ताव पारित हुए। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के सभी पहलुओं को देखने के पश्चात् निम्न प्रस्ताव पारित हुआ :

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद, यूनानी, तिब्ब एवं सिद्ध) के संस्थागत चिकित्साभ्यासी और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत आते हैं, को अपने शिक्षण और प्रशिक्षण पर आधारित शल्य, प्रसूति और बालरोग सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक चिकित्सा जिसे आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है, में चिकित्साभ्यास करने का अधिकार है।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा चिकित्सीय गर्भ समाप्ति अधिनियम, 1971, मानव अंगप्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 एवं पूर्व प्रसव नैदानिक परीक्षण बिल 1994 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के समावेश हेतु प्रस्ताव पारित किया।

स्नातकीय पाठ्यक्रम के बिना भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर संस्थान / विभाग की स्थापना के प्रकरण पर विस्तार से विचार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा विहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के मानदण्ड पूरा करने पर संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है। आगे यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकीय पाठ्यक्रम, के बिना स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध के लिए उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमति दी जा सकती है। ऐसी संस्थाओं के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं का पालन अनिवार्य है।

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1997-98 से भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों से मान्यता शुल्क की राशि को निम्न रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया :-

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| (क) स्नातकीय महाविद्यालयों से | रु० 10,000/- |
| (ख) स्नातकोत्तर विभाग से प्रत्येक विषय के लिए | रु० 5,000/- |
| (ग) नए महाविद्यालयों से | रु० 50,000/- |

निर्णय लिया गया कि राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, हरिद्वार और राजकीय ललित आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश की अनुमति न दी जाय।

निर्णय लिया गया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर और रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तत्काल बन्द कर दिया जाय क्योंकि वहां पर स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश आयुर्वेद महाविद्यालय में प्री-मेडीकल टैस्ट के माध्यम से प्रवेश समाप्त किया जाय और वरीयता अथवा प्री-आयुर्वेद टैस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

यह अंकित किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संस्थाओं में सेवा-प्रभार के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव एवं वित्त परामर्शदाता के अर्धसरकारी पत्र की प्रति प्रेषित की। यह भी अंकित किया गया कि राजकोष पर बोझ कम हो इसके लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाएं आत्म-निर्भर होनी चाहिए, केन्द्र सरकार की चालू नीति को ध्यान में रखते हुए ऐलोपैथी की कई संस्थाओं/अस्पतालों ने उपयुक्त सेवा प्रभार की स्कीम आरम्भ कर दी है। इसी के अनुरूप भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सभी संस्थानों में सेवा प्रभार आरम्भ करने हेतु विचार करें। संस्थान इस निधि का उपयोग संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं और इनके विकास हेतु कर सकते हैं जिसकी अनवरत आवश्यकता रहती है।

समिति ने उपर्युक्त पत्र पर विचार किया और निर्णय लिया कि उपर्युक्त पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी महाविद्यालयों में परिचालित की जाय।

यह अंकित किया गया कि आचार्य राजकुमार जैन, निबन्धक एवं सचिव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 31-10-96 को सेवा-निवृत्त हो गये हैं और हकीम गुरप्रसाद सिंह रीना, सहायक निबन्धक (यूनानी) ने निबन्धक एवं सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

यह अंकित किया गया है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी की स्नातकीय शिक्षा के लिए न्यूनतम स्तर तैयार कर लिए गए हैं परन्तु विनियम के रूप में इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है क्योंकि भारत सरकार की पूर्वानुमति अभी प्रतीक्षित है। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी परिषद् को संयमित न्यूनतम स्तरों के लिए अनुरोध किया जिन्हें आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी संस्थाओं में लागू किया जा सके।

यह अंकित किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया कि इलैक्ट्रोपैथी, इलैक्ट्रो होम्योपैथी और इसी प्रकार की अन्य कही जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता हेतु कई आवेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इन पद्धतियों को किसी भी उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जा सकती।

आयुर्वेद

मुख्य अनुशंसाएं निम्न हैं :-

यह निर्णय लिया गया कि शल्यतंत्र और प्रसूति तंत्र विषय में उपाधि की नामावलि को आयुर्वेद धन्वन्तरि एम०एस० (आयुर्वेद) के रूप में संशोधित किया जाय।

समिति ने अंकित किया कि आयुर्वेद शिक्षा पर उनके सम्मुख लिखे स्थानों पर निम्न कार्यशालाएं आयोजित की गई :-

1. श्रीमती के.जी. मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय, मुम्बई, 27-29 जुलाई, 1995
2. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हैदराबाद-12 एवं 13 नवम्बर, 1995
3. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला-27 एवं 28 मई, 1996
4. धन्वन्तरि भवन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-15 एवं 16 फरवरी, 1997.

समिति ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 1994 के अधीन संज्ञाहरण, विकिरण विज्ञान और अगदतंत्र विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रावधान के समावेश को स्वीकार किया।

यह संकल्प लिया गया कि संलग्न अस्पतालों की शय्याओं की संख्या पर विचार भरी हुई शय्याओं के अनुसार होना चाहिए और प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन करने के लिए अस्पताल में कम से कम 75 प्रतिशत भरी हुई शय्याओं का होना अनिवार्य होगा।

यह अंकित किया गया कि विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों को आयुर्वेद महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेद अस्पतालों में आवश्यक यंत्रों/साज-सज्जा की सूची देने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया। अतः कार्यालय द्वारा तैयार की गई यंत्रों/साज-सज्जा की सूची को देखने और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु एक उप-समिति गठित की गई। 3-2-97 को उप-समिति की बैठक हुई। उप-समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया।

केन्द्रीय लोक संघ आयोग की लोक सेवा परीक्षाओं और राज्य सरकारों की लोक सेवा आयोग, हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग इत्यादि परीक्षाओं के पाठ्यविवरण में चरक, सुषुप्त, माधव निदान, मौलिक सिद्धान्त, शरीर रचना इत्यादि आयुर्वेद विषयों के समावेश पर विचार किया गया ताकि आयुर्वेद स्नातक अपने विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्राप्त कर सकें। विभिन्न परीक्षाओं में उपर्युक्त विषयों के समावेश के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों से मिले ।

समिति ने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद विद्या पारंगत अर्हता को वर्ष 1988 तक मान्यता देना स्वीकार कर लिया ।

आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में वेद और योग के संगत अंशों के समावेश को स्वीकार किया गया ।

यह निर्णय लिया गया कि एड्स से सम्बन्धित अंश को काय-चिकित्सा और स्वस्थवृत्त विषयों में सम्मिलित किया जाय ।

वर्ष 1996-97 के दौरान निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई/अनुमति नहीं दी गई |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला | 20-4-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 2. | श्री परसुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर | 10-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 3. | श्री भंवरलाल दूगड आयुर्वेद विश्वभारती सरदारशहर | 11-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 4. | आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी । | 26-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 5. | गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर | 25-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 6. | श्री साहू छत्रपति साहू महाराज आयुर्वेद कॉलेज, औरंगाबाद | 27-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 7. | वाई०एम०टी० आयुर्वेद कॉलेज, मुम्बई | 29-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 8. | वेंकटरमण आयुर्वेद कॉलेज, मद्रास | 17-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 9. | श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय, कांचीपुरम् | 18-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 10. | एस०बी० आयुर्वेद कॉलेज, तिरुपति | 19-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 11. | दून आयुर्वेद कॉलेज, देहरादून | 8-6-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 12. | एन० के० जबशेद्री आयुर्वेद कॉलेज, बीदर | 28-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 13. | तारानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेल्लरी | 20-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 14. | श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद कॉलेज, अमृतसर | 5-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 15. | दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, जालन्धर | 6-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 16. | श्री कविराज अनन्ता त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, अंकुशपुर । | 7-5-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 17. | एस० एस० नरसिंहनाथ आयुर्वेद कॉलेज, नर सिंहनाथ । | 9-5-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 18. | आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गया । | 15-7-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 19. | स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद कॉलेज, गया | 15-7-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 20. | श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, भागलपुर | 16-7-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 21. | गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज, रोहतक । | 24-5-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई/अनुमति नहीं दी गई |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| 22. | श्री मारुसिंह मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, खानपुरकलां | 28-5-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 23. | ए०बी० समिति आयुर्वेद महाविद्यालय, बीजापुर | 1-7-96 | स्नातकीय/स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 24. | बी०एम०एम० (रुरल) आयुर्वेद कॉलेज, बीजापुर | 2-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 25. | महाराष्ट्र आरोग्य मंडल आयुर्वेद कॉलेज तडपसर (महाराष्ट्र) | 6-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 26. | ए०एल०एन० राव मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज कोष्ठा | 16-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 27. | अरबनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद कॉलेज, रावन्गेर | 15-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 28. | टी० ए० एम० ई० सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, महाबली | 16-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 29. | टी०एम०ई० सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, होसपेट | 29-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 30. | डी०जी०एम० आयुर्वेद कॉलेज, गडग | 15-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 31. | कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सैन्टर अर्कुटी (महाराष्ट्र) | 19-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 32. | भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, पुणे | 24-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 33. | गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, कोल्हापुर | 23-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 34. | गणकण्ठ शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद कॉलेज, कोडोली | 22-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 35. | हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद कॉलेज, बडगांव | 22-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 36. | सायबानेन सरूपसिंह नायक आयुर्वेद कॉलेज, धुले | 15-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 37. | धुले वैदिकेबल सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, धुले | 16-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 38. | वेतल आयुर्वेद कॉलेज, साकेगांव, भुसावळ | 17-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 39. | एस० जे०एम०एच० आयुर्वेद कॉलेज, साबन्तवाडी आयुर्वेद महाविद्यालय, पूसद | 6-7-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 40. | आर्य आयुर्वेद कॉलेज, पाटूर | 22-7-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 41. | श्रीमती आयुर्वेद महिला कॉलेज, मुक्तसर | 21-7-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 42. | एस०एस०एम०डी० आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, भोपा | 9-8-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 43. | 10-8-96 स्नातकीय अनुमति दी गई | | | |
| 44. | एस० डी० एम० कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, उडुपी | 3-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 45. | एस०डी०एम० कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, हसन | 26-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 46. | के०बी०जी० कॉलेज, ऑफ आयुर्वेद, सुलिया | 27-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 47. | सत्य ज्ञानप्रसाद आयुर्वेद कॉलेज, भोपा | 24-9-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 48. | जलसोपान आयुर्वेद कॉलेज, भाणे | 8-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 49. | जलसोपान एजुकेशन फाउण्डेशन आयुर्वेद विद्यापीठ कॉलेज, भुवनेश्वरी | 16-9-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 50. | सत्य ज्ञानप्रसाद आयुर्वेद कॉलेज, भाणे | 28-9-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 51. | बापूजी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, राजेन्द्रनगर शिमोगा | 4-11-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 52. | श्री जे०जी० कोआपरेटिव हास्पिटल सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, घटप्रभा | 5-11-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 53. | कलाभैरावेश्वरी स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, बंगलौर | 30-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 54. | दून आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, देहरादून | 20-11-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 55. | सेठ गोबिन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, सोलापुर | 13-9-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 56. | श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, चण्डीगढ़ | 23-9-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 57. | आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक | 27-9-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 58. | आर०ए०पोद्दार मेडीकल कॉलेज, मुम्बई | 24-10-96 | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 59. | आर०टी० आयुर्वेद कॉलेज, अकोला | 29-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 60. | डी०एम०एम० आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल | 29-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 61. | राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहटी | 26-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 62. | श्री ओ० एच० नाजर आयुर्वेद कॉलेज, सूरत | 28-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 63. | दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, सीवान | 3-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 64. | स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद कॉलेज, गया | 2-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 65. | आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, नई दिल्ली | 29-11-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 66. | विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज, अमरावती | 28-12-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 67. | श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती | 29-12-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 68. | गुरु बाल्मीकि महर्षि आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, चित्रदुर्ग | 14-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 69. | अमरुथा मेडिकल कॉलेज, चित्रदुर्ग | 16-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 70. | बापूजी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, चित्रदुर्ग | 17-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 71. | एस०एस० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, हवेली | 18-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 72. | श्री विजयमनतेश आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज इल्कल | 19-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 73. | देशभगत आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गोबिन्दगढ़ | 18-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 74. | गुरुनानक फाउण्डेशन आयुर्वेद कॉलेज, मुक्तसर | 19-12-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 75. | श्रीमल रिखबचन्द आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, रायचूर | 19-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 76. | कलमथदा पूज्य श्री वीरूपाक्ष शिवाचार्य आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, रायचूर | 20-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 77. | सेठ जे०पी० राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भावनगर | 11-1-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 78. | राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जूनागढ़ | 13-1-97 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 79. | गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी | 7-2-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 80. | इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, भुवनेश्वर | 8-2-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |
| 81. | जे० एस० आयुर्वेद महाविद्यालय, नडियाड | 20-1-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति नहीं दी गई |
| 82. | राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद | 20-1-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई |

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 83. | धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, चण्डीगढ़ | 14-2-97 | स्नातकोत्तर | अनुमति नहीं दी गई |
| 84. | राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर | 14-10-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 85. | बीकृष्ण राजेन्द्र चेरिटेबल ट्रस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडीसिन एण्ड रिसर्च, बंगलौर | 30-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 86. | रुरल एजुकेशन ट्रस्ट आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, कोणाल | 21-1-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 87. | श्री हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी, गुलबर्ग | 20-1-97 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 88. | बी० एस० एस० आयुर्वेद महाविद्यालय, मैसूर | 31-12-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 89. | श्री राघवेन्द्रा आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज चित्रदुर्ग, मालाधोली | 14-12-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 90. | एस० ए० मेडीकल कॉलेज, गुलबर्ग | 16-12-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 91. | जे० एस० एस० आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मैसूर | 20-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 92. | महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सवाग | 26-11-96 | स्नातकोत्तर | अनुमति नहीं दी गई |

यूनानी

यह निर्णय लिया गया कि वैद्य/हकीमों को मानवजाति के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कामश्री धन्वन्तरि/हकीम अजमल खां पुरस्कार से सम्मानित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि स्वीकृति और आवश्यक राशि के लिए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाए।

यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्नातकोत्तर संस्थाओं में स्पोन्सशिप का प्रावधान होना चाहिए।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की मांग करने वाली भारतीय चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं को एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम के साथ कम से कम एक विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए भी कहना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि एड्स जैसी बीमारियों से निपटने के लिए और उपचार में सार्वजनिक प्रगति, चिकित्सा सेवाओं के नए शोधों में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम होने चाहिए।

समिति ने निर्णय लिया कि इलाज-बिल-तदबीर में क्रियात्मक प्रशिक्षण कामिले-सिन्धु भी जराहत पाठ्यक्रम में अनिवार्य भाग होना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री/मुख्य सचिव/सचिव स्वास्थ्य/निदेशक को इस अनुरोध के साथ पत्र भेजा जाय कि नई यूनानी डिस्पेंसरियां खोली जाएं तथा यूनानी डिस्पेंसरी को संख्या 20 से 50 तक बढ़ा दी जाय।

सिद्ध

महाविद्यालय में उपलब्ध स्नातकोत्तर सुविधाओं के आकलन हेतु 19-20 दिसम्बर, 1996 को राजकीय सिद्ध मैडीकल कॉलेज, पलायम कोट्टई का परिदर्शन किया गया।

पंजीयन

यह अंकित किया गया कि कुछ राज्यों के अतिरिक्त शेष की मार्च 1991 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका तैयार हो गई है और अनुरक्षित है। आगे अप्रैल 1991 से मार्च, 1994 तक की अवधि की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मार्च, 1997 तक के राज्य रजिस्टर की प्रति भेजने हेतु सभी राज्य मंडलों से अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्रीय पंजिका तैयार की जा सके।

यह अंकित किया गया कि पंजीयन समिति ने बिहार राज्य के सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों से राज्य रजिस्टर न भेजने और पंजीयन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया। इस सम्बन्ध में यह अंकित किया गया कि बिहार के लिए गठित उप-समिति ने 29-1-97 को निबन्धक राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति परिषद्, 30-1-97 को आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव, बिहार सरकार तथा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात की।

यह अंकित किया गया कि लगभग सभी राज्य मंडल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकांश राज्य अधिनियमों ने अपने राज्य अधिनियमों और उसमें विहित अर्हताओं की सूची को संशोधित नहीं किया है। कुछ मामलों में यह देखा गया कि आज भी राज्य मंडल अनुभव के आधार पर पंजीयन दे रहे हैं/ अनुमति कर रहे हैं।

यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित राज्य मंडल/राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय कि अनुभव के आधार पर पंजीयन/अनुसूचित करना बन्द कर दिया जाय।

यह अंकित किया गया कि सारे भारत में अधिसंख्य संस्थान आयुर्वेद में समान पाठ्यक्रम और अन्य वैकल्पिक पद्धतियां चला रहे हैं और प्रमाण-पत्र तथा पंजीयन प्रदान कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अवैध/जाली संस्थाओं के विरुद्ध जन-समाज को सावधान करते हुए विज्ञापन जारी किया जाय।

निर्णय लिया गया कि हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र द्वारा अनुरोध किया जाय कि अल्प और दीर्घ आधार पर राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जाय। प्रारंभ में अन्य राज्यों के यूनानी महाविद्यालयों में बी०यू०एम०एस० उपाधि पाठ्यक्रम के लिए 5-10 छात्रों को नामजद किया जाय और तत्पश्चात् दीर्घ अवधि के आधार पर राज्य सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु अपना यूनानी महाविद्यालय प्रारम्भ करें। यह भी संकल्प लिया गया कि जिन राज्यों में कोई महाविद्यालय नहीं है, उन राज्यों के छात्रों को अन्य राज्यों के यूनानी महाविद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

निर्णय लिया गया कि अच्छे परिणाम हेतु विचार-विमर्श के लिए यूनानी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विषय के विशेषज्ञों और प्राध्यापकों इत्यादि को भविष्य में होने वाली कार्यशालाओं में विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया जाय।

वर्ष के दौरान निम्न महाविद्यालयों का निरीक्षण हुआ :-

| क्रम सं. | महाविद्यालय का नाम | परिदर्शन की तिथि | स्नातकीय/ स्नातकोत्तर | अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | इबने-सिना-तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल, आजमगढ़ | 24 एवं 25-4-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 2. | जेड० एच० यूनानी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीवान | 4 एवं 5-5-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 3. | जामिया तिब्बिया, देवबन्द | 4 एवं 5-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 4. | अहमद गरीब यूनानी मैडीकल कॉलेज, अक्कलकुआं, धुले | 28 एवं 29-6-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 5. | कश्मीर तिब्बिया कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, बाईपास मार्ग, श्रीनगर | 2 एवं 3-8-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 6. | राजपूताना आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर | 24-8-96 | स्नातकीय | अनुमति नहीं दी गई |
| 7. | यूनानी तिब्बिया कॉलेज, पुणे | 16-8-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 8. | ताज तिब्बिया कॉलेज एवं रशीदिया अस्पताल, नागपुर | 23-9-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 9. | एस०एच० यूनानी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, बुरहानपुर | 16-9-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 10. | जामिया तिब्बिया रहमानिया यूनानी कॉलेज कन्थारिया, भरूच | 9-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 11. | अल्लमा इकबाल यूनानी मैडीकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर | 7-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 12. | निजामिया यूनानी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया | 14-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 13. | एस०बी०एल०के० यूनानी मैडीकल कॉलेज, बीजापुर | 2 एवं 3-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |
| 14. | मोहम्मदीया तिब्बिया कॉलेज एवं अस्सायार एच० मालेगांव, नासिक | 31-12-96 | स्नातकीय | अनुमति दी गई |

बजट के संसाधन

परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत वर्ष 1996-97 का बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं :-

| | गैर-योजना रु० लाखों में | योजना रु० लाखों में |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. बजट प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 58.74 | 35.00 |
| 2. बजट प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत) | 31.00 | 30.00 |
| 3. संशोधित प्राक्कलन वर्ष 1996-97 (परिषद् द्वारा अनुमोदित) | 42.98 | 26.42 |
| 4. संशोधित प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत) | 31.00 | 20.00 |
| 5. मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान | 31.00 | 20.00 |

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाए। केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्न है :-

| | | |
|-----------------|---|----|
| अनुसूचित जाति | - | 04 |
| अनुसूचित जनजाति | - | 02 |
| विकलांग | - | 02 |
| भूतपूर्व सैनिक | - | 01 |

भविष्य का कार्यक्रम

1. कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यमान पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा।
2. भारतीय चिकित्सा के निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की कुकरमुत्ता वृद्धि पर रोक।
3. भारतीय चिकित्सा के अयोग्य/अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों द्वारा अवैध चिकित्साभ्यास पर रोक।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचारगोष्ठी आयोजित करना।
5. भारतीय चिकित्सा पद्धति के केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना। पुस्तकें और पुस्तकालय हेतु आवश्यक साज सज्जा इत्यादि।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर वीडियो फिल्म तैयार करना।
7. क्षेत्रीय भाषाओं में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें तैयार करना।

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली-110002

सं.ए.एम.जी 11/एस.ए.आर./के.भा.चि.प./97-98/313

दिनांक : 12-1-99

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र सहित श्री पी. आर. शर्मा, सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, 61-65 संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 10-13/96 लेखा दिनांक 30.10.98 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिंदी रूपांतर की जाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

हस्ता./-

मीनाक्षी गुप्ता

निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण 11)

सं.ओ.ए. 11/एस.ए.आर./के.भा.चि.प./97-98/314

दिनांक :

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सुनील कुमार राय, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 395 रिपोर्ट (स्वा. नि.) 161-98 दिनांक 23.11.98 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

सं. नि.ले.प. के.रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि

हस्ता./-

निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण)

वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन वर्ष 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम, 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1996-97 के दौरान गैर-योजना के अधीन 31.00 लाख रुपये और योजना के अधीन 20.00 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

2. लेखाओं पर अभिमत

2.1 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन

परिसम्पत्ति लेखा में प्राप्तियों की कीमत दर्शाई गई है और उसमें बेकार, अप्रयुक्त, अप्रतिकार्य और निष्प्रयोजित परिसम्पत्तियों को निकाला नहीं गया है और पूंजीगत लेखाओं की तदनुसार कटौती के साथ अवमूल्यन भी लेखाओं में नहीं लिया गया है। अतः पूंजी और परिसम्पत्ति लेखा तदनुसार बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं, अतः इससे सही चित्रांकन नहीं हो पाता।

2.2 बैंक समायोजन

भारत सरकार के प्राप्ति और अदायगी नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसार प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो सकता है जो प्रबन्धक के ध्यान में नहीं आ सकता है। तथापि, यह देखा गया है कि परिषद् ने वर्ष 1996-97 के दौरान बैंक समायोजन नहीं किया है।

परिषद् ने बतलाया (जुलाई 1998) की बैंक समायोजन कर लिया गया है।

रिकार्ड की जांच के पश्चात् मालूम हुआ कि परिषद् ने केवल कैश बुक और बैंक विवरणिका में उपलब्ध शेष राशि की भिन्नता निकाली है। दोनों लेखाओं की भिन्नता का समायोजन नहीं किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12.1.99

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1997 को यथा तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य-कलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

(ह/-)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12.1.99

महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली

हस्ता/-

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के

| प्राप्तियाँ | गैर-योजना | | योजना | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| 1.4.96 को आद्य शेष | | | | |
| हस्तगत रोकड़ | | 72 | | |
| बैंक में नकद | 2,49,711 | 2,49,783 | 3,21,702 | 3,21,702 |
| वर्ष 1996-97 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान | | 31,00,000 | | 20,00,000 |
| अग्रिमों की बमूली | | | | |
| पर्व अग्रिम | 13,140 | — | | |
| स्कूटर अग्रिम | 30,080 | — | | |
| गृह निर्माण अग्रिम | 11,400 | 54,620 | 6,279 | 6,279 |
| विविध प्रेषण | | | | |
| सामान्य भविष्य निधि | 4,13,421 | | | |
| आयकर | 34,576 | 4,47,997 | | — |
| सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय | | | | |
| अवकाश वेतन अंशदान | 1,361 | | — | |
| पेंशन अंशदान | 1,154 | | — | |
| के०स०स्वा० योजना का अंशदान | 2,565 | | — | |
| कर्मचारियों से अग्रिम पर ब्याज | 1,564 | | — | |
| बेकार वस्तुओं की बिक्री | 32,305 | | 30,000 | |
| के०आयु०एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् संयुक्त बिल्डिंग कम्प्लैक्स से वापिसी | 1,00,000 | | | |
| नि०श्रे०लि० के पद के लिए पोस्टल आर्डर | 771 | 1,39,720 | — | 30,000 |
| मान्यता शुल्क (1992-93 से 1995-96) | 2,67,000 | | | |
| मान्यता शुल्क 1996-97 | 3,93,000 | | | |
| परिदर्शन शुल्क नये महाविद्यालय से 1996-97 | 4,00,000 | | | |
| अधिक प्राप्त शुल्क राशि | 30,000 | 10,90,000 | | |
| अग्रणीत शेष | | 50,82,120 | | 23,57,981 |

नई दिल्ली
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| अवधि | गैर-योजना | | योजना | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| अधिकारियों का वेतन | | 50,525 | | |
| कर्मचारियों का वेतन | | 5,05,227 | | |
| संरक्षित भत्ता | | 8,85,102 | | |
| पूवभाटक भत्ता | | 1,23,913 | | |
| समर प्रतिफल भत्ता | | 21,225 | | |
| अन्तर्गत सहायता I | | 36,195 | | |
| अन्तर्गत सहायता II | | 58,737 | | |
| अन्तर्गत सहायता III | | 53,787 | | |
| स्वातन्त्र्य भत्ता | | 2,400 | | |
| चिकित्सा बंदी भत्ता | | 25,000 | | |
| सहन प्रसार भत्ता | | 1,625 | | |
| भूखंड भत्ता | | 1,560 | | |
| शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति | | 1,440 | | |
| सेवास | | 59,434 | | |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | | 98,653 | | |
| के०स०स्वा० योजना अंशदान | | 38,368 | | |
| अवकाश वास रियायत | | 26,903 | | |
| कर्मचारियों को मजूरी | | 65,312 | | |
| सहायता भत्ता | | 5,567 | | |
| सर्वेस | 750 | 20,61,723 | | |
| आकस्मिक व्यय | | | | |
| (क) अनावर्ती व्यय | | | | |
| कर्मचारी और उपकरण | | 36,620 | | |
| कार्यालय उपकरण | | 1,69,692 | 2,06,312 | |
| अग्रणीत शेष | | 22,68,035 | | |

| प्राप्तियाँ | गैर-योजना | | योजना | |
|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया | | 50,82,120 | | 23,57,981 |
| कुल | | 50,82,120 | | 23,57,981 |

| अवशर्त | गैर-योजना | | योजना | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | 22,68,035 | | — |
| (ख) आवर्ती व्यय | | | | |
| लेखन सामग्री | 94,343 | | 51,383 | |
| दूरभाष | 38,670 | | — | |
| डाक एवं तार | 19,465 | | — | |
| समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें | 6,035 | | — | |
| यूनीफार्म प्रभार | 3,820 | | — | |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 40,565 | | — | |
| मुद्रण व्यय | 13,698 | | — | |
| विभिन्न सम्बन्धी व्यय | 37,600 | | — | |
| चिह्नपत्र | 6,545 | | — | |
| कार्यालय उपकरणों का | | | | |
| और भवन का रख-रखाव | 12,792 | | — | |
| साहज प्रभार | 9,496 | | — | |
| विभिन्न प्रभार | 71,151 | | 4,30,744 | |
| स्लाफ कार प्रभार | 13,151 | | — | |
| प्रकाशन | — | 3,67,331 | 10,68,840 | 15,50,967 |
| 3. सात्र व्यय | | | | |
| अध्यक्ष/उपाध्यक्ष | 64,469 | | — | |
| सचिव/कर्मचारी | 70,421 | | — | |
| कार्यकारिणी समिति के सदस्य | 1,91,524 | | — | |
| शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्य | 91,324 | | — | |
| शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य | 36,760 | | — | |
| पित्त समिति के सदस्य | 29,894 | | — | |
| विभिन्न समिति के सदस्य | 61,752 | | — | |
| उप-समिति के सदस्य | 46,419 | | — | |
| परिदर्शन समिति के सदस्य | 9,49,238 | | — | |
| परिषद् के सदस्य | 59,486 | | — | |
| उच्च जयन्ती के सदस्य | — | | 1,87,922 | |
| आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला | — | 16,01,287 | 5,19,217 | 7,07,139 |
| 4. कर्मचारियों को अग्रिम | | | | |
| पत्र अग्रिम | 13,800 | | | |
| स्कूल अग्रिम | 38,000 | | | |
| पूर्व निवृत्त अग्रिम | 96,000 | 1,47,800 | | |

| व्यय | गैर-योजना | | योजना | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| 1. वेतन एवं भत्ते | | | | |
| अधिकारियों का वेतन | 50,525 | | | |
| कर्मचारियों का वेतन | 5,05,227 | | | |
| मंहगाई भत्ता | 8,85,102 | | | |
| गृहभाटक भत्ता | 1,23,913 | | | |
| नगर प्रतिकर भत्ता | 21,225 | | | |
| अन्तिरिम सहायता-I | 36,195 | | | |
| अन्तिरिम सहायता-II | 58,737 | | | |
| अन्तिरिम सहायता-III | 53,787 | | | |
| स्नातकोत्तर भत्ता | 2,400 | | | |
| चिकित्सा बंदी भत्ता | 25,000 | | | |
| वाहन प्रभार भत्ता | 1,625 | | | |
| धुलाई भत्ता | 1,560 | | | |
| शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति | 1,440 | | | |
| बोनस | 59,434 | | | |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 98,653 | | | |
| के०स०स्वा० योजना अंशदान | 38,368 | | | |
| अवकाश यात्रा रियायत | 26,903 | | | |
| कर्मचारियों को मजूरी | 65,312 | | | |
| समयोपरि भत्ता | 5,567 | | | |
| मानदेय | 750 | 20,61,723 | | |
| 2. आकस्मिक व्यय | | | | |
| लेखन सामग्री | 94,343 | | 51,383 | |
| दूरभाष | 38,670 | | — | |
| डाक एवं तार | 19,465 | | — | |
| समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें | 6,035 | | — | |
| यूनीफार्म प्रभार | 3,820 | | — | |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 40,565 | | — | |
| मुद्रण व्यय | 13,698 | | — | |
| विधि सम्बन्धी व्यय | 37,600 | | — | |
| विज्ञापन | 6,545 | | — | |
| कार्यालय उपकरणों का और भवन का रख-रखाव | 12,792 | | — | |
| वाहन प्रभार | 9,496 | | — | |
| विविध प्रभार | 71,151 | | 4,30,744 | |
| स्टाफ कार प्रभार | 13,151 | | — | |
| प्रकाशन | — | 3,67,331 | 10,68,840 | 15,50,967 |
| अग्रणीत शेष | 24,29,054 | | 15,50,967 | |

| आय | गैर-योजना | | योजना | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| वर्ष 1996-97 के दौरान | | | | |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान | 31,00,000 | | 20,00,000 | |
| भारत-पूँजीगत अनुदान | 2,06,312 | 28,93,688 | — | 20,00,000 |
| विविध प्राप्तियाँ | | | | |
| अवकाश वेतन अंशदान | 1,361 | | — | |
| पेंशन अंशदान | 1,154 | | — | |
| के०स०स्वा० योजना का अंशदान | 2,565 | | — | |
| कर्मचारियों से अधिम पर ब्याज | 1,564 | | 6,279 | |
| वेतन वस्तुओं को बिक्री | 32,305 | | 30,000 | |
| के० आय एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् अनुसूक्त विविधिंग | | | | |
| कालोत्तर से वापिसी | 1,00,000 | | — | |
| वि०के०वि० के पद के लिए | | | | |
| संयोजन आदि | 771 | 1,39,720 | — | 36,279 |
| संग्रह करने योग्य मान्यता शुल्क | | | | |
| 1996-97 के लिए | 15,27,000 | | | |
| 1995-96 के लिए | 43,000 | 15,70,000 | | |
| वर्ष से व्यय की अधिकता | | | | 2,21,827 |
| अग्रणीत शेष | | | | |
| | 46,03,408 | | | 22,58,106 |

| व्यय | गैर-योजना | | योजना | |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | | 24,29,054 | 15,50,967 |
| 3. यात्रा प्रभार | | | | |
| अध्यक्ष/उपाध्यक्ष | 64,469 | | — | |
| सचिव/कर्मचारी | 70,421 | | — | |
| कार्यकारिणी समिति के सदस्य | 1,91,524 | | — | |
| शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्य | 91,324 | | — | |
| शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य | 36,760 | | — | |
| वित्त समिति के सदस्य | 29,894 | | — | |
| विनियम समिति के सदस्य | 61,752 | | — | |
| उप-समिति के सदस्य | 46,419 | | — | |
| परिदर्शन समिति के सदस्य | 9,49,238 | | — | |
| परिषद् के सदस्य | 59,486 | | — | |
| आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला | — | | 5,19,217 | |
| रजत जयन्ती के सदस्य | — | 16,01,287 | 1,87,922 | 7,07,139 |
| 4. महाविद्यालय को वापिस किया गया मान्यता शुल्क | | 2,000 | | — |
| 5. पेंशन निधि में अंशदान | | 42,250 | | — |
| 6. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज | | 36,579 | | — |
| 7. व्यय से आय की अधिकता | | 4,92,238 | | — |
| कुल | | <u>46,03,408</u> | | <u>22,58,106</u> |

| व्यय | गैर-योजना | | योजना | |
|----------------------|-----------|------|------------------|------------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | | 46,03,408 | 22,58,106 |
| कुल | | | <u>46,03,408</u> | <u>22,58,106</u> |

केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
समां तुलन पत्र

| दायित्व | गैर-योजना | | योजना | |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| सामान्य आरक्षित | | | | |
| स्थापना के दिन प्राप्त परिसंपत्तियां | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 20,080.15 | | | |
| शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियां | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 3,03,568.30 | | 5,60,906.32 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 2,06,312.00 | 5,09,880.30 | | 5,60,906.32 |
| उपकुल | | 5,29,960.45 | | 5,60,906.32 |
| व्यय से आय की अधिकता | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 3,41,662.00 | | |
| घटाएँ-आय से व्यय की अधिकता | | | 2,21,827.00 | 1,19,835.00 |
| व्यय से आय की अधिकता | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 13,82,881.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 4,92,238.00 | 18,75,119.00 | | |
| मान्यता शुल्क | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,29,000.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 30,000.00 | 1,59,000.00 | | |
| अग्रणीत शेष | | 25,64,079.45 | | 6,80,741.32 |

| परिसंपत्तियां | गैर-योजना | | योजना | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| (क) अभावर्तीक प्रकृति | | | | |
| कार्यालय भूखर्च | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,57,260.65 | | 42,687.76 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 36,620.00 | 1,93,880.65 | | 42,687.76 |
| सांसात्कृत उपकरण | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 23,640.73 | | 26,789.80 |
| पुस्तकालय के लिए पुस्तकें | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 30,574.91 | | |
| कार्यालय उपकरण | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 1,12,172.16 | | 4,91,428.76 | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 1,69,692.00 | 2,81,864.16 | | 4,91,428.76 |
| गत तुलन | 5,29,960.45 | | | 5,60,906.32 |
| (ख) आवर्ती प्रकृति | | | | |
| भूखर्च | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 9,228.00 | | 19,960.00 |
| वर्ष अक्षिप्त | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 10,620.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 13,800.00 | | | |
| | 24,420.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 18,140.00 | 11,280.00 | | |
| वर्ष अक्षिप्त | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 8,250.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 38,000.00 | | | |
| | 46,250.00 | | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | 30,080.00 | 16,170.00 | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | | | |
| वर्ष अक्षिप्त | | 5,000.00 | | |
| उपकुल | | 5,71,638.45 | | 5,80,866.32 |

| दायित्व | गैर-योजना | | योजना | |
|----------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | 25,64,079.45 | | 6,80,741.32 |
| कुल | | <u>25,64,079.45</u> | | <u>6,80,741.32</u> |

| परिसंपत्तियां | गैर-योजना | | योजना | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | राशि | राशि | राशि | राशि |
| पीछे से लाया गया शेष | | 5,71,638.45 | | 5,80,866.32 |
| 5. गृह निर्माण अग्रिम | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 1,15,000.00 | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | <u>96,000.00</u> | | |
| | | 2,11,000.00 | | |
| वर्ष के दौरान की गई वसूली | <u>11,400.00</u> | 1,99,600.00 | | |
| 6. मान्यता शुल्क | | | | |
| गत तुलन-पत्र के अनुसार | | 11,19,000.00 | | |
| वर्ष के दौरान की गई वसूली | | <u>2,67,000.00</u> | | |
| | | 8,52,000.00 | | |
| वर्ष के दौरान जोड़ा गया | <u>7,77,000.00</u> | 16,29,000.00 | | |
| 7. 31.3.97 को अन्तः शेष | | | | |
| हस्तगत रोकड़ | | 21,724.00 | | |
| बैंक में नकद | <u>1,42,117.00</u> | <u>1,63,841.00</u> | <u>99,875.00</u> | <u>99,875.00</u> |
| कुल | | <u>25,64,079.45</u> | | <u>6,80,741.32</u> |

भारतीय चिकित्सा
पेंशन एवं

31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

| प्राप्तियाँ | राशि | राशि |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1.4.96 को बचत खाते में आद्य शेष | | |
| बैंक ऑफ इण्डिया | 6,049.30 | |
| स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | 97,379.20 | 1,03,428.50 |
| वर्ष के दौरान अंशदान | | 42,250.00 |
| बैंक से अर्जित ब्याज | | 40,289.20 |
| अल्पावधि जमा योजना की परिपक्वता पर | | 9,00,000.00 |
| कुल | | <u>10,85,967.70</u> |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
संचालनी निधि
प्राप्तियाँ एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | राशि | राशि |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| संचालनीयों को मासिक पेंशन | | 92,769.00 |
| संचालनीयों को अन्तिम अदायगी | | 4,30,543.00 |
| अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन | | 3,50,000.00 |
| बचत खाते में 31.3.97 को अन्तः शेष | | |
| स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में | 2,06,606.40 | |
| बैंक ऑफ इण्डिया में | <u>6,049.30</u> | 2,12,655.70 |
| कुल | | <u>10,85,967.70</u> |

भारतीय चिकित्सा
पेंशन एवं
31 मार्च, 1997 को यथा

| 1995-96 | दायित्व | राशि | राशि |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 8,00,989.30 | गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 10,53,428.50 | |
| 2,59,918.00 | अंशदान | 42,250.20 | |
| 31,178.20 | ब्याज | 40,289.20 | |
| 10,98,085.50 | | 11,35,967.70 | |
| 44,657.00 | घटाएँ-विमोचित | 5,23,312.00 | 6,12,655.70 |
| 10,53,428.50 | | | |
| 10,53,428.50 | कुल | | 6,12,655.70 |

केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
पेंशियुटी निधि
तुलन-पत्र

| 1995-96 | परिसंपत्तियां | राशि | राशि |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | विनियोजन | | |
| 7,50,000.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 9,50,000.00 | |
| 2,00,000.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 3,50,000.00 | |
| 9,50,000.00 | | 13,00,000.00 | |
| — | घटाएँ - विमोचित | 9,00,000.00 | 4,00,000.00 |
| 9,50,000.00 | | | |
| 1,03,428.50 | बचत खाते में 31.3.97 का अन्तः शेष | | 2,12,655.70 |
| 10,53,428.50 | कुल | | 6,12,655.70 |

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

| प्राप्तियाँ | राशि | राशि |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| बचत खाते में 1.4.97 को आद्य शेष | | 51,668.28 |
| कर्मचारियों द्वारा अंशदान | 2,37,541 | |
| कर्मचारियों से ऋण वसूली | 1,94,680 | 4,32,221.00 |
| अल्पावधि परिपक्व विनियोजन | — | 13,00,000.00 |
| बैंक से अर्जित ब्याज | 1,36,243 | — |
| केन्द्रीय परिषद् से अर्जित ब्याज | 36,579 | 1,72,822.00 |
| कुल | | <u>19,56,711.28</u> |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
भविष्य निधि
प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

| भुगतान | राशि | राशि |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन | | 9,00,000.00 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | | 1,55,900.00 |
| आंशिक अन्तिम निकासी | | 6,76,013.00 |
| 31.3.97 को बचत खाते में अन्तः शेष | | 2,24,798.28 |
| कुल | | <u>19,56,711.28</u> |

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च, 1997 को यथा


| 1995-96 | दायित्व | राशि | राशि |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 15,37,679.28 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 17,43,898.28 | |
| | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | | |
| 2,05,179.00 | अंशदान | 2,37,541.00 | |
| 1,61,413.00 | ब्याज | 1,72,822.00 | |
| 19,04,271.28 | | 21,54,261.28 | |
| 1,60,373.00 | घटाएँ-निकासी | 6,76,013.00 | 14,78,248.28 |
| 17,43,898.28 | | | |
| | कुल | | 14,78,248.28 |

केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली
भविष्य निधि
तुलन-पत्र


| 1995-96 | परिसंपत्तियां | राशि | राशि |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | 1. विनियोजन | | |
| | (क) विशेष जमा योजना | | |
| 1,70,500.00 | गत-तुलन-पत्र के अनुसार | | 1,70,500.00 |
| 1,70,500.00 | (ख) मासिक आय पत्र/ अल्पावधि जमा | | |
| 9,60,000.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 13,00,000.00 | |
| 7,75,000.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 9,00,000.00 | |
| 17,35,000.00 | | 22,00,000.00 | |
| 4,35,000.00 | | | |
| 13,00,000.00 | घटाएँ वर्ष के दौरान विमोचित | 13,00,000.00 | 9,00,000.00 |
| | 2. कर्मचारियों को ऋण | | |
| 2,60,730.00 | गत तुलन-पत्र के अनुसार | 2,21,730.00 | |
| 1,40,500.00 | वर्ष के दौरान जोड़ा गया | 1,55,900.00 | |
| 4,01,230.00 | | 3,77,630.00 | |
| 1,79,500.00 | घटाएँ-वर्ष के दौरान की गई वसूली | 1,94,680.00 | 1,82,950.00 |
| 51,668.28 | 3. बचत खाते में अन्तः शेष | | |
| 51,668.28 | 31.3.97 को बैंक के | | 2,24,798.28 |
| 17,43,898.28 | कुल | | 14,78,248.28 |

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


EXECUTIVE COMMITTEE



PRESIDENT



REGISTRAR-CUM-SECRETARY



| Sl. No. | Particulars | Amount | Total |
|---------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Salaries and allowances | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 2 | Grants-in-aid | 50,00,00,00 | 50,00,00,00 |
| 3 | Capital expenditure | 20,00,00,00 | 20,00,00,00 |
| 4 | Current expenditure | 30,00,00,00 | 30,00,00,00 |
| 5 | Reserve fund | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 6 | Other income | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 7 | Grants from Government | 100,00,00,00 | 100,00,00,00 |
| 8 | Grants from State Governments | 50,00,00,00 | 50,00,00,00 |
| 9 | Grants from Local Authorities | 20,00,00,00 | 20,00,00,00 |
| 10 | Grants from Private Donors | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 11 | Grants from Foreign Donors | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 12 | Income from investments | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 13 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 14 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 15 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 16 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 17 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 18 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 19 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 20 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 21 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 22 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 23 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 24 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 25 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 26 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 27 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 28 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 29 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 30 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 31 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 32 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 33 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 34 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 35 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 36 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 37 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 38 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 39 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 40 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 41 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 42 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 43 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 44 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 45 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 46 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 47 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 48 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |
| 49 | Income from other sources | 5,00,00,00 | 5,00,00,00 |
| 50 | Income from property | 10,00,00,00 | 10,00,00,00 |

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI**

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1996-97

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Govt of India Gazette Notification Extraordinary Part II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Central Council was reconstituted in 1984 & 1995.

The main objects of the Central Council are as under:

- i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition/withdrawal of medical qualifications in Indian Medicine.
- iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum & Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post-graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum and syllabus prescribed by the Central Council.

The Central Council decided to review the Curriculum & Syllabus already prescribed. It was decided to organise workshops to review the Curriculum & Syllabus of different subjects of Ayurved, Siddha & Unani Tibb. Accordingly, workshops are being organised for the purpose of Under-graduate & Post-graduate courses. During the year two workshops of Ayurved & three Workshops of Unani have already been organised. Workshop on Siddha education will be organised shortly.

The Central Council of Indian Medicine has from time to time reviewed the condition for opening of new Colleges in the Indian Systems of Medicine. After deliberation on the issues, the Central Council has decided that an Institution desirous to start a New College

should fulfill the following conditions:

1. No College of Indian Medicine can be started without the prior approval of Central Council of Indian Medicine.
2. To obtain approval of Central Council, the Management (Govt. or Non Government Organisation) desirous of starting the college should approach Central Council through respective State Government Organisation.
3. The competent authority of State Government/Union Territory administration must indicate in clear terms whether they are or not in favour of starting of college managed by a Non-Government Organisation.
4. The management of the college (Government or Non-Government Organisation) must submit willingness in writing, the willingness of University concerned to grant affiliation if Central Council permits to start the college.
5. The Management of college (Government or Non-Government Organisation) should submit the detailed particulars of staff, space and equipments as recommended by Central Council and give an undertaking for phased implementation of minimum standards as prescribed by CCIM within stipulated period.
6. The Management of college (Government or Non-Government Organisation) must satisfy Central Council about possessing enough facilities to undertake the degree course.
7. The Management must provide adequate facilities of administrative and teaching required in the beginning of the degree course as per the recommendations.
8. The college must give an undertaking to admit number of students only as per student-bed-ratio of 1:5.
9. There should be a 100 bedded Ayurved/Siddha/Unani Tibb. hospital with the facility of OPD and other requirement which may be extended to fulfil all future requirements.
10. The Management of the College must submit plan for the construction of fullfledged hospital to be completed by the 3rd year of degree course and to appoint competent personnel.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation & maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provision the Central Council is maintaining in the prescribe manner, a register of Indian Medicine which is containing the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine & who possess any of the recognized medical qualification included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Central Council is maintaining the Central Register of Indian Medicine & updating of the same is a continuous process.

The Council has already prescribed minimum standards of education and syllabii for studies. To verify the actual observance of these standards the Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit report to the Council pointing out shortcoming. Directives are being sent to the institution to remove the shortcomings within a specified period or face stoppage of admission in the next session. It is very heartening to note that these visits are bearing fruits.

To assess the present status of Indian Systems of Medicine College at a glance the decision to carryout mass visitation of colleges was taken by the Central Council of Indian Medicine. In compliance of the same 92 Ayurved & 14 Unani colleges were visited during the year to assess available facilities of teaching & practical training & infrastructure inconformity with the minimum standards & requirements laid down by the Central Council.

Central Council of Indian Medicine has completed its 25 years of existence. It was decided to observe 1997 as its Silver Jubilee year. Silver Jubilee was celebrated on 20th March, 1997. Shri Saleem Iqbal Sherwani, Minister of State for Health & Family Welfare, Govt. of India, inaugurated the Silver Jubilee celebration. Smt. Shanta Shastri, Shri Pradeep Bhargava, Secretary & Joint Secretary respectively, Deptt. of ISM&H, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India and many eminent physicians and scholars of ISM & other dignitaries graced the occasion. For special lectures were delivered by eminent scholars of ISM, Vaidyaraja Brihaspati Dev Triguna & Acharya P.V. Sharma (Banaras) spoke on Ayurveda, Hakim M.S. Usmani on Unani and Dr. J.R. Krishnamurthy on Siddha Medicine.

Dr. Madan Sarup Gupta the only member of Central Council of Indian Medicine who completed 25 years as a regular member of CCIM and has been rendering valuable service to the CCIM, all former Presidents, Vice-Presidents, Registrars of CCIM & other dignitaries who contributed to their best for the Indian Systems of Medicine were honoured.

Annual meeting of CCIM was held on 18th & 19th March, 1997. Smt. Shanta Shastri, Secretary, Deptt. of ISM&H, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, addressed the Council on 18th March, 1997. In her address, she said that her department is there for promotion and development of ISM in the country. It wants to give all help and encouragement to these disciplines. She wanted educational institutions of ISM for Under-graduate as well as Post-graduate standard to maintain minimum standards of education as prescribed by Central Council of Indian Medicine. She stressed the need to check the mushroom growth of these institutions of ISM who did not have the equipped facilities.

The Council resolved that a letter may be sent to State Governments stating that members of Central Council may be associated in all the Committees constituted by State Governments for promotion and development of Indian Systems of Medicine.

The Central Council decided that a letter be written to Maharashtra Government to give equal status and promotional avenue to the Unani graduates equivalent to the Ayurvedic and other graduates so that the parity could be maintained among the graduates of ISM at all levels.

ADMINISTRATIVE REPORT

COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the Third constituted Central Council:

AYURVED

1. Dr. Marry Vaman Reddy
2. Dr. Sivanandam
3. Dr. Gajendra Bharali
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Om Prakash Vashisth
9. Dr. Patel Arvind Keshavlal
10. Dr. Bhuptani Ramesh Chandra Amrut Lal
11. Dr. Pawan Kumar Vashisth
12. Dr. Dev Narayan Sharma
13. Dr. Rudramani Sharma
14. Dr. Gyan Chand
15. Dr. Jayaprakash Narayan
16. Dr. S.V. Savadi

17. Dr. Rajagopalan K.
18. Dr. D. Ramanathan
19. Dr. Ranvir Singh Parihar
20. Dr. Pramod Kumar Jain
21. Dr. Rajesh Shukla
22. Dr. Satish Dutt Garg
23. Dr. Gyan Kumar Ahuja
24. Dr. Shah Kishan Vithaldas
25. Dr. Yadav Ramesh Krishna
26. Dr. N.V. Salgarkar
27. Dr. Ghanshyam Mishra
28. Dr. Jagjeet Singh
29. Dr. Mukesh Walia
30. Dr. Ved Prakash Tyagi
31. Dr. Mahendra Kumar Sharma
32. Dr. Raghunandan Sharma
33. Dr. P. Narayanan
34. Dr. Mukesh Sharma
35. Dr. Patanjali Dwivedi
36. Dr. Vachaspati Trivedi
37. Dr. Bhrigupati Pandey
38. Dr. Kishore Mohan
39. Dr. Swapan Kumar Bhunia
40. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee
41. Dr. K.K. Zala
42. Dr. Sukhdev Raj Vats
43. Dr. S.C. Hugar
44. Dr. K.R. Ramachandra
45. Dr. B.G. Gopinath
46. Dr. Sangappa S. Hosmani
47. Dr. P.K. Warriar
48. Dr. P. K. Mohan Lal
49. Dr. Anand Swaroop Upadhyay
50. Dr. T.M. Pawar
51. Dr. R.V. Sehgaora
52. Vaidya Dinanath R. Upadhyay
53. Vaidya G.P. Upadhyay
54. Vaidya Rohidas Sambhu Patil
55. Vaidya Mohan Narayan Tambe
56. Dr. Kailash Chandra Padhi
57. Vaidya Ram Bharosi Mishra
58. Dr. D. Athysaya Raj
59. Dr. Sarva Dev Upadhyay
60. Dr. Lakshmi Narayan Maity
61. Dr. T. Kishan
62. Vaidya S.P. Bhattacharya

63. Dr. S.N. Parchure
64. Vaidya I. Sanjeeva Rao
65. Vaidya S.K. Sharma
66. Vaidya S.K. Mishra
67. Vaidya Devendra Kumar Triguna
68. Vaidya G.L. Chanana
69. Prof. Kulwant Singh
70. Vaidya S.C. Sankhyadhar
71. Prof. R. Bharat Rajan
72. Vaidya Sriram Sharma
73. Vaidya S.K. Sharma Chhangani
74. Vaidya Sanjay Janardan Tilak
75. Vaidya Abdul Wahid
76. Dr. Ved Vrat Sharma
77. Dr. C.H.S. Shastri
78. Vaidya Hari Narain Swami
79. Vaidya B. Vaidyanathan
80. Prof. Jyotir Mitra
81. Vaidya Sadhna Mishra
82. Vaidya Balendu Prakash

AYURVEDA

83. Dr. V. Stanley Jones
84. Dr. S. Gopalakrishnan
85. Dr. V. Arinachalam
86. Dr. V. Subramanian
87. Dr. M.A. Kumar

UNANI

88. Dr. S.S. Rawat
89. Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz
90. Dr. Daulat Ram Bharaj
91. Dr. Vinod Pundir
92. Dr. Bansilal Pandit
93. Prof. Hakim S. Shaji Hyder
94. Dr. Md. Akhtar Masood Siddiqui
95. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan
96. Hakim Ved Prakash Sharma
97. Hakim Saud Ali Khan
98. Dr. K. Shafiullah Khan
99. Hakim Shamin Ahmed
100. Hakim Hafiz S. Habibur Rahman
101. Hakim Syed Faizan Ahmed
102. Dr. Tahera Banu

103. Prof. Jamil Ahmed
104. Hakim Mohd. Ashraf Karim
105. Dr. Syed Shahabul Haq
106. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad
107. Hakim Syed Shah Mutazibuddin Quadri
108. Hakim Abdullah Khan
109. Hakim Syed Imamuddin Ahmed
110. Dr. Abu Bakar Khan
111. Dr. Madan Sarup Gupta
112. Hakim A.J. Khan
113. Hakim (Mrs) Alia Aman
114. Dr. Ram Ditta Sharma
115. Prof. Hakim Khaleefathullah
116. Hakim Saifuddin Ahmed

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of Central Council of Indian Medicine:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Vaidya Sriram Sharma | President |
| 2. Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani | Vice-President (Ayurved) |
| 3. Dr. V. Subramanian | Vice-President (Siddha) |
| 4. Prof. Hakim Abdul Khan | Vice-President (Unani) |
| 5. Vaidya Devendra Kumar Triguna | Member, Executive Committee |
| 6. Dr. Pramod Kumar Jain | —do— |
| 7. Dr. Sivanandan | —do— |
| 8. Vaidya Raghunandan Sharma | —do— |
| 9. Dr. M.A. Kumar | —do— |
| 10. Dr. Madan Sarup Gupta | —do— |
| 11. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | —do— |

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following main three committees, namely:

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani committee

The above Committees consist of members elected under clause (a), (b), and (c) of Sub-Section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine respectively.

The Vice-President for each of the Ayurved, Siddha and Unani Tibb

Systems of Medicine are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may give from time to time, each Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani, Tibb Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee has been constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by members of all three systems of Indian Medicine i.e. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.

The Central Council has also constituted the following Committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee has been constituted by the Central Council to draw the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Vaidya I. Sanjeeva Rao | Chairman |
| 2. Dr. Ved Prakash Tyagi | Vice Chairman |
| 3. Dr. BRC Amrutlal | Member |
| 4. Dr. P. Narayanan | " |
| 5. Dr. Rajesh Shukla | " |
| 6. Dr. Alakh Narayan Singh | " |
| 7. Dr. S.C. Hugar | " |
| 8. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 9. Dr. A.S. Upadhyay | " |
| 10. Dr. S.K. Bhunia | " |
| 11. Dr. R.K. Yadav | " |
| 12. Dr. K.C. Padhi | " |
| 13. Dr. S. Gopalakrishnan | " |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 14. Hakim Syed Imamuddin Ahmad | Member |
| 15. Hakim S. Shafiullah Khan | " |
| 16. Dr. Bansilal Pandit | " |
| 17. Dr. Daulat Ram Bharaj | " |
| 18. Dr. S.S. Rawat | " |
| 19. Dr. Mukesh Sharma | " |

REGISTRATION COMMITTEE

The Central Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications into IInd Schedule to the IMCC Act, 1970 and to make recommendations in this context. The consideration of the matter relating to registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Jayprakash Narayan | Chairman |
| 2. Dr. A.K. Patel | Vice Chairman |
| 3. Dr. Dev Narain Sharma | Member |
| 4. Vaidya P.K. Vashisth | " |
| 5. Dr. Satish Dutt Garg | " |
| 6. Dr. D. Ramanathan | " |
| 7. Dr. B.G. Gopinath | " |
| 8. Dr. R. Bharat Rajan | " |
| 9. Dr. D. Athysayaraj | " |
| 10. Vaidya Rohidas S. Patil | " |
| 11. Dr. Gyan Kumar Ahuja | " |
| 12. Dr. N.V. Salgarkar | " |
| 13. Dr. M. Vaman Reddy | " |
| 14. Dr. Patanjali Dwivedi | " |
| 15. Dr. Vachaspati Trivedi | " |
| 16. Dr. R.D. Sharma | " |
| 17. Hakim Akhtar Masood Siddiqui | " |
| 18. Hakim Saud Ali Khan | " |
| 19. Dr. Stanley Jones | " |

FINANCE COMMITTEE

The Central Council constituted the Finance Committee to look into the financial matters of the Central Council.

The following are the members of Finance Committee:

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Vaidya G.L. Chanana | Chairman |
| 2. Hakim Abu Bakar Khan | Vice Chairman |
| 3. Dr. M.A. Kumar | Member |
| 4. Vaidya Mukesh Walia | " |
| 5. Dr. S.C. Sankhyadhar | " |
| 6. Dr. K.R. Ramchandran | " |
| 7. Dr. D. Ramanathan | " |
| 8. Dr. S.S. Rawat | " |
| 9. Hakim Mohd. Shaikh Arshad | " |
| 10. Vaidya Sadhna Mishra | " |
| 11. Dr. K.V. Shah | " |

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are dealing with all matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:

AYURVED

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Vaidya S.K. Mishra | Chairman |
| 2. Vaidya S.K. Sharma Chhangani | Ex-officio Member |
| 3. Dr. C.H.S. Shastry | Member |
| 4. Vaidya S.K. Sharma | " |
| 5. Vaidya Shah Kisan Vithaldas | " |
| 6. Vaidya Jagjeet Singh | " |
| 7. Dr. Ghanshyam Mishra | " |
| 8. Vaidya Hari Narain Swami | " |
| 9. Dr. L.N. Maity | " |
| 10. Vaidya K.K. Zala | " |
| 11. Prof. Kulwant Singh | " |
| 12. Dr. Rudramani Sharma | " |
| 13. Dr. Sangappa S. Hosmani | " |
| 14. Dr. S.V. Savadi | " |
| 15. Dr. O.P. Vashisth | " |
| 16. Dr. Sukhdev Raj Vats | " |
| 17. Dr. R.C. Bhattacharya | " |
| 18. Dr. K. Rajagopalan | " |

| | |
|------------------------------|--------|
| 19. Vaidya Gauri Lal Chanana | Member |
| 20. Dr. D. Ramanathan | " |
| 21. Prof. Jyotir Mitra | " |
| 22. Vaidya A.S. Upadhyay | " |
| 23. Dr. R.S. Parihar | " |
| 24. Dr. R.V. Sehgaora | " |
| 25. Dr. Bhri Gupta Pandey | " |
| 26. Dr. Ved Prakash Tyagi | " |
| 27. Dr. Kishor Mohan | " |

SIDDHA

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Dr. V. Subramanian | Chairman |
| 2. Dr. V. Arunachalam | Vice Chairman |
| 3. Dr. S. Gopala Krishnan | Member |
| 4. Dr. M.A. Kumar | " |
| 5. Dr. V. Stanley Jones | " |

UNANI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Hakim Jamil Ahmed | Chairman |
| 2. Prof. Hakim. Shahabul Haq | Vice Chairman |
| 3. Prof. Hakim S. Shaji Hyder | Member |
| 4. Prof. Hakim S. Imamuddin Ahmed | " |
| 5. Hakim A.J. Khan | " |
| 6. Hakim Saud Ali Khan | " |
| 7. Hakim Ved Prakash Sharma | " |
| 8. Hakim Mohd. Ashraf Karim | " |
| 9. Prof. Hakim Abu Bakar Khan | " |
| 10. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | " |
| 11. Hakim (Mrs) Alia Aman | " |
| 12. Dr. S.S. Rawat | " |
| 13. Hakim Bansilal Pandit | " |
| 14. Hakim (Mrs.) Tahera Banu | " |
| 15. Dr. Madan Sarup Gupta | " |
| 16. Hakim K. Shafiulla Khan | " |
| 17. Hakim Shamim Ahmed | " |
| 18. Hakim Hafiz S. Habibur Rahman | " |
| 19. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan | Ex-officio Member |

During the year 1996-97 the following meetings were held:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Central Council of Indian Medicine | One |
| 2. Ayurved Committee | One |
| 3. Siddha Committee | One |
| 4. Unani Committee | One |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5. Executive Committee | Five |
| 6. Registration Committee | One |
| 7. Regulation Committee | Two |
| 8. Finance Committee | Two |
| 9. Education Committee (Ayurved) | One |
| 10. Education Committee (Siddha) | One |
| 11. Education Committee (Unani) | |
| 12. Meeting of Sub-Committee of Education Committee (Ayurved) | Five |
| 13. Workshop on Syllabus of Samhita, Itihas & Maulik Siddhant of Ayurvedacharya Course | One |
| 14. Workshop to review the Syllabus for the subject of Rachna Sharir & Kriya Sharir of Ayurvedacharya Course | One |
| 15. Workshop for Syllabus for Graduate Course in Unani Tibb | One |
| 16. Workshop on Curriculum of Post-graduate Course in Unani Tibb | One |
| 17. Workshop on Curriculum & Minimum Standard for Graduate Course in Unani Tibb | One |
| 18. Meeting of Sub-Committee of Registration Committee | One |

The salient features of recommendations made by the Council are as under:

Right & privilege of Indian Systems of Medicine practitioners have been considered by the Central Council of Indian Medicine time to time & many resolutions to define the Indian Systems of Medicine have been passed time to time. After going through the all pros and cons of the IMCC Act, 1970 passed the following resolution:

"Institutionally qualified practitioners of Indian Systems of Medicine (Ayurvedic, Unani Tibb & Siddha) and those covered under Indian Medicine Central Council Act, 1970, are eligible to practice Indian Systems of Medicine and Modern Medicine, which is commonly known as Modern Scientific System of Medicine including Surgery, Gynaecology and Obstetrics, based on their training and teaching. This training and teaching is included in the syllabus of Central Council of Indian Medicine."

The Central Council passed the resolution regarding inclusion of practitioners of Indian Systems of Medicine in the medical termination of Preg-

Regarding establishment of Post-graduate Institutions/Departments of Indian Systems of Medicine without having Under-graduate course, the issue was discussed at great length & it was decided that the permission for starting Post-graduate course may be given to that Institution which fulfills the norms of Post-graduate course prescribed by the Central Council of Indian Medicine. It was further decided that permission for Establishment of Centre of Excellence for Post-graduate Education & Research can be granted without having Under-graduate course of Indian Systems of Medicine. Minimum Standards & requirements for such institution laid down by the Central Council of Indian Medicine will be strictly adhered to.

The Central Council decided the issue regarding increase in the amount of Recognition & visitation fee from Indian Systems of Medicine Colleges from 1997-98 as under:

- A. Rs. 10,000/- from Under-graduate Colleges.
- B. Rs. 5,000/- per speciality from Post-graduate Departments.
- C. Rs. 50,000/- from New Colleges

Decided that no permission for admission of students in Post-graduate course in the State Rishikul Ayurved College, Haridwar and State Lalit Ayurved College, Pilibhit be granted.

Decided that the Post-graduate course in Govt. Ayurved College, Gwalior and Raipur be stopped immediately as there are no facilities for teaching and practical training at Post-graduate level.

Decided to request the Govt. of Madhya Pradesh to discontinue the mode of admission of students through PMT in Ayurved colleges of Madhya Pradesh and the admission of the students be made either on merit basis or through PAT.

It was noted that Ministry of Health & Family Welfare forwarded a copy of the DO letter from Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare regarding service charges in ISM&H Institution. It was also noted that keeping in view the current policy of the Central Government that health facilities in the country should be self-supporting to put less burden on the Government exchequer, many allopathic institutions/hospitals have started the scheme of reasonable service charge. On this analogy, ISM&H Division may also consider introducing service charges at all ISM&H institutions in the country. The institutions can make out a care for retention of these funds and use them towards upgrading the facility for which the need is on a constant basis.

It was noted that Acharya R.K. Jain, Registrar-cum-Secretary of the Central Council of Indian Medicine, retired on Superannuation from the services on 31.10.96 and the charge of the post of Registrar-cum-Secretary has been taken over by Hakim G.S. Reena, Asstt. Registrar (Unani).

It was noted that the minimum standards for Under-graduate level education in Ayurved/Unani/Siddha have been prepared by the Central Council of Indian Medicine but these standards are yet to be notified as regulation for this approval of Govt. of India is awaited. Sometime back the Ministry of Health & Family Welfare had advised this Council for a moderate minimum standards which can be enforced in Ayurved/Unani/Siddha educational institutions.

It was noted that Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM & H, New Delhi informed that a number of representations seeking recognition of Electropathy, Electro Homoeopathy, and such other so-called medical systems are received.

The Central Council of Indian Medicine decided that these systems can not be recognized by the Central Council of Indian Medicine for any purpose.

AYURVED

The salient features of the recommendations made are as under:

It was decided that the nomenclature of the degree in the speciality of Shalya Tantra & Prasuti Tantra be amended as Ayurved Dhanwantari M.S. (Ay.)

The Committee noted that the following Workshop in relation to Ayurvedic education were organised at the places mentioned below:

1. Smt. KG Mittal Punarvasu Ayurved Mahavidyalaya, Mumbai 27-29 July, 95.
2. Govt. Ayurved College, Hyderabad, 12th and 13th November, 1995.
3. Govt. Ayurved College, Paprola 27th & 28th May, 1996 and
4. Dhanwantri Bhawan, Punjabi Bagh, New Delhi 15-16.2.97.

The Committee agreed that for inclusion of provision of Post-graduate Course for Sangyharan and Vikiran Vigyan, Agadtantra specialities under

It was resolved that the number of beds to be considered for attached hospital should be in accordance to the occupancy and minimum 75% occupancy of beds in the hospital shall be essential for allocation of seats for admission.

It was noted that various Ayurvedic Colleges requested from time to time to furnish the list of Instruments/Equipments necessary in Ayurved hospitals attached to Ayurved College. Therefore, a Sub-Committee was constituted to go through the list of Instruments/equipments prepared by the office and submit their recommendations. The Sub-Committee met on 3.2.97. The recommendations of the Sub-Committee were accepted.

Considered the inclusion of Ayurved subjects viz. Charak, Sushrut, Madhav Nidan, Maulik Siddhant, Sharir Rachna etc. in the syllabus of Civil Service Examination of UPSC as well as State Govt. examination as PCS, HSS, so that the graduates of Ayurved may get opportunity to pass the examination in their own subjects. It was decided to request the concerned authorities for inclusion of above mentioned subjects in various examinations.

It was decided that in view of the poor condition of Ayurved colleges in MP and UP a high power delegation may meet the higher authorities of MP and UP Govt.

The Committee agreed for recognition of Ayurved Vidya Parangat qualification awarded by Tilak Maharashtra Vidyapeeth upto 1988.

It was agreed to include Veda and Yoga in the Ayurvedacharya course.

It was decided that the portion related to Aids be included in Kayachikitsa and Swasthvritta subjects.

THE FOLLOWING AYURVEDA COLLEGES WERE VISITED DURING THE YEAR

| S.No. | Name of the College | Date of Visitation | UG/PG | Permitted Not Permitted |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Govt. Ayurved College, Patiala | 20.4.96 | PG | Permitted |
| 2. | Sh. Parasurampuriah Ayurved Mahavidyalaya, Sikar | 10.6.96 | UG | Permitted |
| 3. | Sh. Bhanwarlal Dugar Ayurved Vishwabharti, Sardarshahar | 11.6.96 | UG | Permitted |
| 4. | Ayurved Mahavidyalaya, Rahuri | 26.6.96 | UG | Permitted |
| 5. | Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Ahmednagar | 25.6.96 | UG | Permitted |
| 6. | CSMS Ayurved College, Aurangabad | 27.6.96 | UG | Permitted |
| 7. | Y.M.T. Ayurved College, Mumbai | 29.6.96 | UG | Permitted |
| 8. | Venkatramanna Ayurved College, Madras | 17.6.96 | UG | Permitted |
| 9. | Sh. Jayendra Saraswati Ayurved Mahavidyalaya, Kancheepuram | 18.6.96 | UG | Permitted |
| 10. | SV. Ayurved College, Tirupati | 19.6.96 | UG | Permitted |
| 11. | Doon Ayurved College, Dehradun | 8.6.96 | UG | Not Permitted |
| 12. | N.K. Jabshetty Ayurved College, Bidar | 28.6.96 | UG | Permitted |
| 13. | Taranath Govt. Ayurved College, Bellary | 20.6.96 | UG | Permitted |
| 14. | Sh. Laxmi Narayan Ayurved College, Amritsar | 5.7.96 | UG | Permitted |
| 15. | Dayanand Ayurved College, Jalandhar | 6.7.96 | UG | Permitted |
| 16. | Sh. Kyj. Anantha Tripathy Sharma Ayurved College, Ankushpur | 7.5.96 | UG | Permitted |
| 17. | S.S. Nrusinghnath Ayurved College, Nrusinghnath | 9.5.96 | UG | Permitted |
| 18. | Ayurved Medical College, Gaya | 15.7.96 | UG | Not Permitted |
| 19. | Swami Raghvendracharya Tridandi Ayurved College, Gaya | 15.7.96 | UG | Not Permitted |
| 20. | Sri Yathindra Narain Ashtang Ayurved College, Bhagalpur | 16.7.96 | UG | Not Permitted |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 21. Gaur Brahman Ayurved College, Rohtak | 24.5.96 | UG | Not Permitted |
| 22. Sh. Maru Singh Memorial Ayurved College, Khanpurkalan | 28.5.96 | UG | Not Permitted |
| 23. A.V. Samiti's Ayurved Mahavidyalaya, Bijapur | 1.7.96 | UG & PG | Permitted |
| 24. BNM Ayurved College, Bijapur (Rural) | 2.7.96 | UG | Permitted |
| 25. Maharashtra Arogya Mandal's Ayurved College, Hadapsar (MS) | 6.7.96 | UG | Permitted |
| 26. ALN Rao Memorial Ayurved College, Koppa | 16.7.96 | UG | Permitted |
| 27. Ashwini Educational Association Ayurved College, Davangere | 15.7.96 | UG | Permitted |
| 28. TAME Society's Ayurved College, Bhadrawati | 16.7.96 | UG | Permitted |
| 29. TAME Society's Ayurved College, Hospet | 29.6.96 | UG | Permitted |
| 30. DGM Ayurved College, Gadag | 15.7.96 | UG | Permitted |
| 31. College of Ayurved & Research Centre, Akurdi | 19.7.96 | UG | Permitted |
| 32. Bharati Vidyapeeth College of Ayurved, Pune | 24.7.96 | UG | Permitted |
| 33. Ganga Education Society's Ayurved College, Kolhapur | 23.7.96 | UG | Permitted |
| 34. Yashwant Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved College, Kodoli | 22.7.96 | UG | Permitted |
| 35. Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved College, Vadgaon | 22.7.96 | UG | Permitted |
| 36. Dadasaheb Sarupsingh Naik Ayurved College, Dhule | 15.7.96 | UG | Permitted |
| 37. Dhule Charitable Society's Ayurved College, Dhule | 16.7.96 | UG | Permitted |
| 38. Chaitanya Ayurved College, Sakegaon, Bhusawal | 17.7.96 | UG | Permitted |
| 39. RJMH Ayurved College, Sawantwadi | 6.7.96 | UG | Permitted |
| 40. Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur | 21.7.96 | UG | Not Permitted |
| 41. Ayurved Mahavidyalaya, Pusad | 22.7.96 | UG | Not Permitted |
| 42. Maibhago Ayurved College for Women, Muktsar | 9.8.96 | UG | Permitted |
| 43. SSMD Ayurved College & Hospital, Moga | 10.8.96 | UG | Permitted |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 44. SDM College of Ayurved, Udipi | 3.10.96 | UG | Permitted |
| 45. SDM College of Ayurved, Hassan | 26.10.96 | UG | Permitted |
| 46. KVG College of Ayurved, Sullia | 27.10.96 | UG | Permitted |
| 47. Lala Lajpatrai Ayurved College, Moga | 24.9.96 | UG | Permitted |
| 48. Nallasopara Ayurvedic College, Thane | 8.10.96 | UG | Permitted |
| 49. Alvas Education Foundation Ayurved Medical College, Moodbidri | 16.9.96 | UG | Permitted |
| 50. Sangam Sevabhavi Trust, Sangamner | 28.9.96 | UG | Permitted |
| 51. Bapuji Ayurved Medical College, Rajendranagar, Shimoga | 4.11.96 | UG | Permitted |
| 52. Sh. J.G. Cooperative Hospital Society's Ayurved Medical College, Ghataprabha | 5.11.96 | UG | Permitted |
| 53. Kalabhairaveshwara Swami Institute of Ayurvedic Medical College, Bangalore | 30.10.96 | UG | Permitted |
| 54. Doon Ayurved Medical College, Dehradun | 20.11.96 | UG | Permitted |
| 55. Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya, Solapur | 13.9.96 | PG | Permitted |
| 56. Sh. Dhanwantri Ayurved College, Chandigarh | 23.9.96 | PG | Permitted |
| 57. Ayurved Mahavidyalaya, Nasik | 27.9.96 | UG | Permitted |
| 58. R.A. Podar Medical College, Mumbai | 24.10.96 | UG & PG | Permitted |
| 59. R.T. Ayurved College, Akola | 29.10.96 | UG | Permitted |
| 60. DMM Ayurved Mahavidyalaya, Yeotmal | 29.10.96 | UG | Permitted |
| 61. Govt. Ayurved College, Guwahati | 26.10.96 | UG | Permitted |
| 62. Sh. O.H. Nazar Ayurved College, Surat | 28.10.96 | UG | Permitted |
| 63. Dayanand Ayurved College, Siwan | 3.12.96 | UG | Permitted |
| 64. Swami Raghvendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya, Gaya | 2.12.96 | UG | Permitted |
| 65. Ayurved & Unani Tibbia College, New Delhi | 29.11.96 | UG | Permitted |
| 66. Vidarbha Ayurved College, Amravati | 28.10.96 | PG | Permitted |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
| 67. Shri Gurudeo Ayurved Mahavidyalaya, Amravati | 29.10.96 | PG | Permitted |
| 68. Guru Valmeeeki Maharshi Ayurved Medical College, Chitradurga | 14.12.96 | UG | Permitted |
| 69. Amrutha Ayurved Medical College, Chitradurga | 16.12.96 | UG | Permitted |
| 70. Bapuji Ayurved Medical College, Chitradurga | 17.12.96 | UG | Permitted |
| 71. S.S. Ayurved Medical College, Haveri | 18.12.96 | UG | Permitted |
| 72. Shri Vijayamantesh Ayurved Medical College, Ilkal | 19.12.96 | UG | Permitted |
| 73. Desh Bhagat Ayurved Medical College, Govindgarh | 18.12.96 | UG | Permitted |
| 74. Gurunanak Foundation Ayurved Medical College, Muktsar | 19.12.96 | UG | Not Permitted |
| 75. Srimal Rikhabchand Ayurved Medical College, Raichur | 19.12.96 | UG | Permitted |
| 76. Kalmathada Pujya Shri Virupaksha Shivacharya Ayurved Medical College, Raichur | 20.12.96 | UG | Permitted |
| 77. Seth J.P. Govt. Ayurved College, Bhavanagar | 11.1.97 | UG | Not Permitted |
| 78. Govt. Ayurved College, Junagarh | 13.1.97 | UG | Not Permitted |
| 79. Gopabandhu Ayurved Mahavidyalaya, Puri | 7.2.97 | PG | Permitted |
| 80. Indira Gandhi Memorial Ayurved Medical College, Bhubneshwar | 8.2.97 | PG | Permitted |
| 81. J.S. Ayurved Mahavidyalaya, Nadiad | 20.1.97 | PG | Not Permitted |
| 82. Govt. Akhandanand Ayurvedic College, Ahmedabad | 20.1.97 | PG | Permitted |
| 83. Dhanwantri Ayurved College, Chandigarh | 14.2.97 | PG | Not Permitted |
| 84. Govt. Ayurved College, Kannur | 14.10.96 | UG | Permitted |
| 85. Shri Krishnarajendra Charitable Trust Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore | 30.12.96 | UG | Permitted |
| 86. Rural Education Trust Ayurvedic Medical College, Koppal | 21.1.97 | UG | Permitted |
| 87. Shri Hingulamabika Education Society, Gulbarga | 20.1.97 | UG | Permitted |
| 88. V.S.S. Ayurved Mahavidyalaya, Mysore | 31.12.96 | UG | Not Permitted |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
| 89. Shri Raghavendra Ayurvedic Medical College, Chitradurga Maladhauly | 14.12.96 | UG | Not Permitted |
| 90. S.A. Medical College, Gulbarga | 16.12.96 | UG | Not Permitted |
| 91. J.S.S. Ayurved Medical College, Mysore | 20.12.96 | UG | Permitted |
| 92. MG. Gramodayas Vishwa-vidyalaya, Satara | 26.11.96 | PG | Not Permitted |

UNANI

Decided that eminent Vaidyas/Hakims be honoured with "Dhanwantri"/"Hakim Ajmal Khan" award respectively for their services to mankind. It was also decided to forward it to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction and providing necessary funds for the same.

It was decided that there should be provision of sponsorship in various Post-graduate institutions run by Government of India.

Indian Systems of Medicine institutions, who are desirous to start Post-graduate Course should be asked for having Post-graduate Diploma Course also atleast in one subject alongwith MD/MS Course.

Decided that there must be some refresher courses to provide information and training in new researches & advancements in prevention and cure of diseases, AIDS etc.

Committee decided that practical training in regimental therapy (Hajj-tadbir) should be compulsory part in the course of Kamil-e-tib-o-jarahat.

It was decided to send a letter to Health Minister/Chief Secretary/Secretary Health/Director of Haryana with a request to open new Unani Dispensari and increase the number of Unani Dispensaries from 20 to 50.

Decided to write a letter to the Hon'ble Health Minister of Haryana with a request to promote Unani System of Medicine in the State on short and long term basis. To begin with 5-10 students may be nominated to the Unani colleges of other States for BUMS degree course & thereafter, in the long term basis the State should start its own Unani College to develop the Unani System of Medicine in the State. It was also resolved that where there is no colleges in the State, the students of those States should be given admission on priority basis in the Unani Colleges of other State.

Decided that Principals of Unani Colleges, experts of the subjects & Professors etc. be called as special invitees in the future workshop for result oriented deliberation.

The following colleges were visited during the year:

| S.No. | Name of College | Date of Visitation | UG/PG | Permitted/ Not Permitted |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|
| 1. | Ibne-Sina Tibbia College & Hospital, Azamgarh. | 24&25.4.96 | UG | Permitted |
| 2. | ZH Unani Medical College & Hospital, Siwan. | 4&5.5.96 | UG | Permitted |
| 3. | Jamia Tibbia, Deoband | 4&5.6.96 | UG | Permitted |
| 4. | Ahmed Gharib Unani Medical College Akkalkua, Dhule | 28&29.6.96 | UG | Permitted |
| 5. | Kashmir Tibbia College & Research Centre, Bye Pass Road, Srinagar | 2&3.8.96 | UG | Permitted |
| 6. | Rajputana Ayurved & Unani Tibbia College, Jaipur | 24.8.96 | UG | Not Permitted |
| 7. | Unani Tibbia College, Pune | 16.8.96 | UG | Permitted |
| 8. | Taj Tibbia College & Rasheedia Hospital, Nagpur. | 23.9.96 | UG | Permitted |
| 9. | SH Unani Medical College & Hospital, Burhanpur | 16.9.96 | UG | Permitted |
| 10. | Jamia Tibbia Rahmania, Unani College, Kantharia | 9.12.96 | UG | Permitted |
| 11. | Allama Iqbal Unani Medical College, Muzaffarnagar | 7.12.96 | UG | Permitted |
| 12. | Nizamia Unani Medical College & Hospital, Gaya | 14.12.96 | UG | Permitted |
| 13. | SBLK Unani Medical College, Bijapur | 2 & 3.12.96 | UG | Permitted |
| 14. | Mohammedia Tibbia College & Assayer H. Malegaon, Distt. Nasik | 31.12.96 | UG | Permitted |

SIDDHA

Government Siddha Medical College, Palayamkottai was visited on 19-20 December, 1996 to assess Post-graduate facilities available in the college.

REGISTRATION

It was noted that the Central Register of Indian Medicine upto March 1991 except for a few states had been prepared and maintained. Further action has been initiated for preparation of Central Register for the period from April, 1991 to March, 1994. State Boards have been requested to

furnish copy of their State Register upto March, 97 so that Central Register may be prepared.

It was noted that the Registration Committee constituted Sub-Committee for Bihar to have meeting with the concerned State Government Officers in the matters of non-supply of copies of the State Register and the matters relating to registration. In this connection, it was noted that the Sub-committee, constituted for Bihar have already held meeting with the Registrar, State Council for Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Bihar on 29-1-97 and with the Commissioner and Health Secretary, Government of Bihar and Health Minister of Bihar on 30.1.97.

It has been noted that almost all the State Boards are not following the direction of the Central Council of Indian Medicine. Most of the State Boards have not amended the State Act and Schedule of qualifications therein. In some of the cases it has been noticed that the State Boards are still granting enlistment/registration to the persons on the basis of experience. It was decided that concerned State Board/State Govt. be requested to stop enlistment/registration to the persons on the basis of experience.

It was noted that a number of unapproved institutions all over India conduct courses in Ayurved and other alternative systems, and award certificates and registration. It was decided that an advertisement may be got published in the newspaper warning the General Public about such unauthorised/bogus institutions.

BUDGETARY RESOURCES

The Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1996-97 were approved by the Council and released/sanctioned by the Govt. are as under:

| | Non Plan Rs. in Lakh | Plan Rs. in Lakh |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Budget Estimates 1996-97 (Approved by the Council) | 58.74 | 35.00 |
| 2. Budget Estimates 1996-97 (Sanctioned by the Ministry) | 31.00 | 30.00 |
| 3. Revised Estimates 1996-97 (Approved by the Council) | 42.98 | 26.42 |
| 4. Revised Estimates 1996-97 (Sanctioned by the Ministry) | 31.00 | 20.00 |
| 5. Grant-in-aid released by Ministry | 31.00 | 20.00 |

The Central Council is a small organisation. However, every care is

taken to ensure that the reservations made by the Govt. of India for different categories of employees are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for different categories is as under:

| | |
|------------------------|------|
| Schedule Caste | Four |
| Schedule Tribe | Two |
| Physically Handicapped | Two |
| Ex-Serviceman | One |

FUTURE PROGRAMME

1. To review the existing curriculum and syllabus for Graduate & Post-Graduate Courses of Ayurved, Unani & Siddha and organise Workshops in this context.
2. Steps to check mushroom growth of sub-standard colleges of Indian Medicine.
3. Steps to check unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners of Indian Medicine.
4. To organise seminars on various important topics of Indian System of Medicine.
5. Establishment of Central Library of Indian Systems of Medicine.
6. Preparation of Video Film on educational aspects of Indian Systems of Medicine.
7. Preparation of Text Books & reference books of Ayurved, Unani & Siddha in national and regional languages.

25

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES New Delhi-110 002

No. A.M.G. 11/S.A.R./CCIM/97-98/313

Dated : 12.1.99

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to Shri P. R. Sharma, Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110 058 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/96-Accounts dated 30.10.98. The date on which the certified Annual Accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of Hindi version of the certified Annual Accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-

Meenakshi Gupta
Director of Audit
(Inspection - II)

No. : O.A. 11/S.A.R./CCIM/97-98/314

Dated :

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 395-Report (Health Deptt) / 161-98 dated 23.11.98.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/ observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/-

Director of Audit
(Inspection)

Encl. : As above

20

**Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine,
New Delhi for the year 1996-97**

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1976 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 31.00 lakh under Non-Plan and Rs. 20.00 lakh under Plan during the year 1996-97.

2. Comments on Accounts

2.1. Depreciation on Assets

The asset accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irreparable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipts and Payments Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation could result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. The Council had, however, not conducted the bank reconciliation during the year 1996 97.

The Council stated (July 1998) that the bank reconciliation had since been done. A scrutiny of the records, however, revealed that the Council had only worked out the difference between the balance available as per Cash Book and the Bank Statement. The difference between the two sets of accounts had not been reconciled.

Sd./-
**Director General of Audit
Central Revenues**

Place : New Delhi.
Date : 12.1.99

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1997, and the Balance Sheet as on 31st March, 1997 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-
**Director General of Audit
Central Revenues**

Place : New Delhi
Dated : 12.1.99

**Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine,
New Delhi for the year 1996-97**

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1976 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 31.00 lakh under Non-Plan and Rs. 20.00 lakh under Plan during the year 1996-97.

2. Comments on Accounts

2.1. Depreciation on Assets

The asset accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irreparable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipts and Payments Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation could result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. The Council had, however, not conducted the bank reconciliation during the year 1996 97.

The Council stated (July 1998) that the bank reconciliation had since been done. A scrutiny of the records, however, revealed that the Council had only worked out the difference between the balance available as per Cash Book and the Bank Statement. The difference between the two sets of accounts had not been reconciled.

Sd./-
Director General of Audit
Central Revenues

Place : New Delhi.
Date : 12.1.99

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1997, and the Balance Sheet as on 31st March, 1997 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues

Place : New Delhi
Dated : 12.1.99

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW**

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

| RECEIPTS | NON PLAN | | PLAN | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| OPENING BALANCE AS ON 1.4.96 | | | | |
| Cash in hand | 72 | | --- | |
| Cash at Bank | 2,49,711 | 2,49,783 | 3,21,702 | 3,21,702 |
| Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1996-97 | | 31,00,000 | | 20,00,000 |
| RECOVERY OF ADVANCES | | | | |
| Festival Advance | 13,140 | | — | |
| Scooter Advance | 30,080 | | — | |
| House Building Advance | 11,400 | 54,620 | 6,279 | 6,279 |
| MISCELLANEOUS REMITTANCES | | | | |
| General Provident Fund | 4,13,421 | | | |
| Income Tax | 34,576 | 4,47,997 | | — |
| RECEIPTS OTHER THAN GRANT-IN-AID | | | | |
| Leave Salary Contribution | 1,361 | | — | |
| Pension Contribution | 1,154 | | — | |
| C.G.H.S. Subscription | 2,565 | | — | |
| Interest on Advance from Employee | 1,564 | | — | |
| Sale of Unserviceable Articles | 32,305 | | 30,000 | |
| Refund from CCRAS Combined Building complex | 1,00,000 | | | |
| Postal Orders for the Post of L.D.C. | 771 | 1,39,720 | — | 30,000 |
| RECOGNITION FEE (1992-93 to 95-96) 2,67,000 | | | | |
| " " " 1996-97 | | 3,93,000 | | |
| Visitation fee New Colleges, 96-97 | 4,00,000 | | | |
| Fee received in excess | 30,000 | 10,90,000 | | — |
| Balance c/f | | 50,82,120 | | 23,57,981 |

**INDIAN MEDICINE
DELHI**

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997

| PAYMENTS | NON PLAN | | PLAN | |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| 1) PAY & ALLOWANCES | | | | |
| Pay of Officers | 50,525 | | | |
| Pay of Establishment | 5,05,227 | | | |
| Dearness Allowances | 8,85,102 | | | |
| House Rent Allowance | 1,23,913 | | | |
| City Compensatory Allowance | 21,225 | | | |
| Interim Relief-I | 36,195 | | | |
| Interim Relief-II | 58,737 | | | |
| Interim Relief-III | 53,787 | | | |
| Post Graduate Allowance | 2,400 | | | |
| Non-Practising Allowance | 25,000 | | | |
| Conveyance Allowance | 1,625 | | | |
| Washing Allowance | 1,560 | | | |
| Tuition Reimbursement | 1,440 | | | |
| Bonus | 59,434 | | | |
| Medical Reimbursement | 98,653 | | | |
| C.G.H.S. Contribution | 38,368 | | | |
| Leave Travel Concession | 26,903 | | | |
| Wages to employees | 65,312 | | | |
| Overtime Allowance | 5,567 | | | |
| Honourium | 750 | 20,61,723 | | — |
| 2) CONTINGENCIES | | | | |
| (a) Non-Recurring Expenditure | | | | |
| Furniture & Fixture | 36,620 | | | |
| Office equipments | 1,69,692 | 2,06,312 | | — |
| Balance c/f | | 22,68,035 | | — |

Balance B/F

50,82,120

23,57,981

Balance B/F

22,68,035

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| (b) Recurring Expenditure | | | | |
| Stationery | 94,343 | | 51,383 | |
| Telephone | 38,670 | | — | |
| Postage & Telegram | 19,465 | | — | |
| Newspapers & periodical Books | 6,035 | | — | |
| Liveries Expenses | 3,820 | | — | |
| Audit Fee | 40,565 | | — | |
| Printing Charges | 13,698 | | — | |
| Legal Expenses | 37,600 | | — | |
| Advertisement | 6,545 | | — | |
| Maintenance of Office Equipment & Building Complex | 12,792 | | — | |
| Conveyance Expenses | 9,496 | | — | |
| Miscellaneous Expenses | 71,151 | | 430,744 | |
| Staff Car Charges | 13,151 | | — | |
| Publication | — | 3,67,331 | 10,68,840 | 15,50,967 |
| | | | | |
| 3. TRAVEL EXPENSES | | | | |
| President/Vice President | 64,469 | | — | |
| Secretary/Establishment | 70,421 | | — | |
| Members of Executive Committee | 1,91,524 | | — | |
| Members of Education Committee (Ayurved) | 91,324 | | — | |
| Members of Education Committee (Unani) | 36,760 | | — | |
| Members of Finance Committee | 29,894 | | — | |
| Members of Regulation Committee | 61,752 | | — | |
| Members of Sub-Committee | 46,419 | | — | |
| Members of Visiting Committee | 9,49,238 | | — | |
| Members of Council | 59,486 | | — | |
| Members of Silver Jubilee Workshop of Ayurved & Unani | — | 16,01,287 | 1,87,922 | 7,07,139 |
| | | | 5,19,217 | |
| 4. ADVANCES TO EMPLOYEES | | | | |
| Festival Advance | 13,800 | | — | |
| Scooter Advance | 38,000 | | — | |
| House Building Advance | 96,000 | 1,47,800 | — | |
| 5. ADVANCE TO POSTAGE | | | 5,000 | |
| 6. RECOGNITION FEE REFUND TO COLLEGE | | | 2,000 | |
| 7. MISCELLANEOUS REMITTANCES | | | | |
| General Provident Fund | 4,13,421 | | — | |
| Income Tax | 34,576 | 4,47,997 | — | |
| 8. CONTRIBUTION TOWARD PENSION FUND | | | 42,250 | |
| 9. INTEREST ON GENERAL PROVIDENT FUND | | | 36,579 | |
| 10. CLOSING BALANCE AS ON 31.03.1997 | | | | |
| Cash in hand | 21,724 | | — | |
| Cash at Bank | 1,42,117 | 1,63,841 | 99,875 | 99,875 |
| TOTAL | | 50,82,120 | 23,57,981 | |

TOTAL

50,82,120

23,57,981

32

**CENTRAL COUNCIL OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS**

| EXPENDITURE | NON-PLAN | | PLAN | |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| 1. PAY AND ALLOWANCES | | | | |
| Pay of Officers | 50,525 | | | |
| Pay of Establishment | 5,05,227 | | | |
| Dearness Allowance | 8,85,102 | | | |
| House Rent Allowance | 1,23,913 | | | |
| City Compensatory Allowance | 21,225 | | | |
| Interim Relief-I | 36,195 | | | |
| Interim Relief-II | 58,737 | | | |
| Interim Relief-III | 53,787 | | | |
| Post Graduate Allowance | 2,400 | | | |
| Non-practising Allowance | 25,000 | | | |
| Conveyance Allowance | 1,625 | | | |
| Washing Allowance | 1,560 | | | |
| Tuition Reimbursement | 1,440 | | | |
| Bonus | 59,434 | | | |
| Medical Reimbursement | 98,653 | | | |
| CGHS Contribution | 38,368 | | | |
| Leave Travel Concession | 26,903 | | | |
| Wages to employees | 65,312 | | | |
| Overtime Allowance | 5,567 | | | |
| Honourium | 750 | 20,61,723 | | |
| | | | | |
| 2. CONTINGENCIES | | | | |
| Stationery | 94,343 | | 51,383 | |
| Telephones | 38,670 | | — | |
| Postage & Telegram | 19,465 | | — | |
| Newspapers & Periodical Books | 6,035 | | — | |
| Liveries Expenses | 3,820 | | — | |
| Audit Fee | 40,565 | | — | |
| Printing Charges | 13,698 | | — | |
| Legal Expenses | 37,600 | | — | |
| Advertisement | 6,545 | | — | |
| Maintenance of Office Equipment | 12,792 | | — | |
| Conveyance Expenses | 9,496 | | — | |
| Staff Car Expenses | 13,151 | | — | |
| Miscellaneous Expenses | 71,151 | | 4,30,744 | |
| Publication | — | 3,67,331 | 10,68,840 | 15,50,967 |
| Balance C/F | | 24,29,054 | | 15,50,967 |

33

**INDIAN MEDICINE
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997.**

| INCOME | NON-PLAN | | PLAN | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| Grant-in-aid received From Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1996-97 | 31,00,000 | | 20,00,000 | |
| Less-Grant Capitalise | 2,06,312 | 28,93,688 | — | 20,00,000 |
| | | | | |
| MISCELLANEOUS RECEIPTS | | | | |
| Leave Salary Contribution | 1,361 | | — | |
| Pension Contribution | 1,154 | | — | |
| CGHS. Subscription | 2,565 | | | |
| Interest on Advance from Employees | 1,564 | | 6,279 | |
| Sale of Unserviceable article | 32,305 | | 30,000 | |
| Refund from CCRAS Building Complex | 1,00,000 | | — | |
| Postal Orders for the Post of L.D.C. | 771 | 1,39,720 | — | 36,279 |
| | | | | |
| Recognition Fee recoverable for 1996-97 | 15,27,000 | | | |
| for 1995-96 | 43,000 | 15,70,000 | | |
| | | | | |
| Excess of Expenditure over Income | | | | 2,21,827 |
| | | | | |
| Balance C/F | | 46,03,408 | | 22,58,106 |

Balance B/F 24,29,054 15,50,967

Balance B/F 46,03,408 22,58,106

3. TRAVEL EXPENSES

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| President/Vice President | 64,469 | — | — |
| Secretary/Establishment | 70,421 | — | — |
| Member of Executive Committee | 1,91,524 | — | — |
| Member of Education Committee (Ayurved) | 91,324 | — | — |
| Members of Education Committee (Unani) | 36,760 | — | — |
| Members of Finance Committee | 29,894 | — | — |
| Members of Regulation Committee | 61,752 | — | — |
| Members of Sub Committee | 46,419 | — | — |
| Members of Visiting Committee | 9,49,238 | — | — |
| Members of Council | 59,486 | — | — |
| Workshops of Ayurved & Unani | — | 5,19,217 | — |
| Members of Silver Jubilee Celebration | — | 16,01,287 | 1,87,922 |
| | | | 7,07,139 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---|
| 4. Recognition Fee refund to College | 2,000 | — | — |
| 5. Contribution toward Pension Fund | 42,250 | — | — |
| 6. Interest to General Provident Fund | 36,579 | — | — |
| 7. Excess of Income over Expenditure | 4,92,238 | — | — |

TOTAL 46,03,408 22,58,106

TOTAL 46,03,408 22,58,106

CENTRAL COUNCIL
NEW
BALANCE SHEET AS

| LIABILITIES | NON PLAN | | PLAN | |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| GENERAL RESERVE | | | | |
| Assets acquired the day of Estt. | | | | |
| As per last Balance Sheet | | 20,080.15 | | |
| Assets acquired out of Grant-in-Aid | | | | |
| As per last Balance Sheet | 3,03,568.30 | | 5,60,906.32 | |
| Addition during the year | <u>2,06,312.00</u> | 5,09,880.30 | <u>—</u> | 5,60,906.32 |
| SUB TOTAL | | <u>5,29,960.45</u> | | <u>5,60,906.32</u> |
| Excess of Income over Expenditure | | | | |
| As per Last Balance Sheet | | | 3,41,662.00 | |
| Less: Excess of Expenditure over Income | | — | <u>2,21,827.00</u> | 1,19,835.00 |
| Excess of Income over Expenditure | | | | |
| As per last Balance Sheet | 13,82,881.00 | | | |
| Addition during the year | <u>4,92,238.00</u> | 18,75,119.00 | | — |
| RECOGNITION FEE | | | | |
| As per last Balance Sheet | 1,29,000.00 | | | |
| Addition during the year | <u>30,000.00</u> | 1,59,000.00 | | |
| Balance C/F | | <u>25,64,079.45</u> | | <u>6,80,741.32</u> |

OF INDIAN MEDICINE
DELHI
ON 31ST MARCH, 1997

| ASSETS | NON PLAN | | PLAN | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT |
| (A) NON-RECURRING NATURE | | | | |
| (1) Furniture & Fixture | | | | |
| As per last Balance Sheet | 1,57,260.65 | | 42,687.76 | |
| Addition during the year | <u>36,620.00</u> | 1,93,880.65 | <u>—</u> | 42,687.76 |
| (2) Air Cooling Appliances | | | | |
| As per last Balance Sheet | | 23,640.73 | | 26,789.80 |
| (3) Books for Library | | | | |
| As per last Balance Sheet | | 30,574.91 | | — |
| (4) Office Equipments | | | | |
| As per last Balance Sheet | 1,12,172.16 | | 4,91,428.76 | |
| Addition during the year | <u>1,69,692.00</u> | 2,81,864.16 | <u>—</u> | 4,91,428.76 |
| SUB TOTAL | | <u>5,29,960.45</u> | | <u>5,60,906.32</u> |
| (B) RECURRING NATURE | | | | |
| 1. Telephone | | | | |
| As per last Balance sheet | | 9,228.00 | | 19,960.00 |
| 2. Festival Advance | | | | |
| As per last Balance Sheet | 10,620.00 | | | |
| Addition during the year | <u>13,800.00</u> | | | |
| | 24,420.00 | | | |
| Recovery during the year | <u>13,140.00</u> | 11,280.00 | | — |
| 3. Scooter Advance | | | | |
| As per last Balance Sheet | 8,250.00 | | | |
| Addition during the year | <u>38,000.00</u> | | | |
| | 46,250.00 | | | |
| Recovery during the year | <u>30,080.00</u> | | | |
| | | 16,170.00 | | — |
| 4. Advance Postage | | | | |
| | | 5,000.00 | | — |
| Balance C/F | | <u>5,71,638.45</u> | | <u>5,80,866.32</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
PENSION-CUM-
BALANCE SHEETS AS**

| 1995-96 | LIABILITIES | AMOUNT | AMOUNT |
|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 8,00,989.30 | As per last Balance Sheet | 10,53,428.50 | |
| 2,59,918.00 | Addition during the year | 42,250.00 | |
| <u>37,178.20</u> | Interest | <u>40,289.20</u> | |
| 10,98,085.50 | | 11,35,967.70 | |
| <u>44,657.00</u> | Less: Redeemed | <u>5,23,312.00</u> | 6,12,655.70 |
| <u>10,53,428.50</u> | | | |
| | | | |
| <u>10,53,428.50</u> | TOTAL | | <u>6,12,655.70</u> |

**INDIAN MEDICINE
DELHI
GRATUITY FUND
ON 31ST MARCH, 1997.**

| 1995-96 | ASSETS | AMOUNT | AMOUNT |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Investments | | |
| 7,50,000.00 | As per last Balance Sheet | 9,50,000.00 | |
| <u>2,00,000.00</u> | Addition during the year | <u>3,50,000.00</u> | |
| 9,50,000.00 | | 13,00,000.00 | |
| <u>—</u> | Less: Redeemed | <u>9,00,000.00</u> | 4,00,000.00 |
| <u>9,50,000.00</u> | | | |
| <u>1,03,428.50</u> | Closing Balance as on 31-3-97 in Saving Bank Account | | 2,12,655.70 |
| <u>10,53,428.50</u> | TOTAL | | <u>6,12,655.70</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
GENERAL PROVIDENT
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

| RECEIPTS | AMOUNT | AMOUNT |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Opening Balance as on 1.4.96 in Saving Bank Account | | 51,668.28 |
| Subscription by Employees | 2,37,541 | |
| Recovery of Loan form Employees | <u>1,94,680</u> | 4,32,221.00 |
| Short Term Deposit matured | | 13,00,000.00 |
| Interest earned from Bank | 1,36,243 | |
| Interest transferred from Council | <u>36,579</u> | 1,72,822.00 |
| TOTAL | | <u>19,56,711.28</u> |

**INDIAN MEDICINE
DELHI
FUND
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997**

| PAYMENTS | AMOUNT | AMOUNT |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Investment in Short Term Deposits | | 9,00,000.00 |
| Advances to Employees | | 1,55,900.00 |
| Part/Final withdrawal to Employees | | 6,76,013.00 |
| Closing Balance as on 31.3.97 in Saving Bank Account | | 2,24,798.28 |
| TOTAL | | <u>19,56,711.28</u> |

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
GENERAL PROVIDENT
BALANCE SHEET AS ON**

**INDIAN MEDICINE
DELHI
FUND
31ST MARCH, 1997**

| 1995-96 | LIABILITIES | AMOUNT | AMOUNT |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 15,37,679.28 | As per last Balance Sheet | 17,43,898.28 | |
| | ADDITION DURING THE YEAR | | |
| 2,05,179.00 | Subscription | 2,37,541.00 | |
| 1,61,413.00 | Interest | 1,72,822.00 | |
| 19,04,271.28 | | 21,54,261.28 | |
| 1,60,373.00 | Less: withdrawal | 6,76,013.00 | 14,78,248.28 |
| 17,43,898.28 | | | |
| | TOTAL | | 14,78,248.28 |

| 1995-96 | ASSETS | AMOUNT | AMOUNT |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 1. INVESTMENTS | | |
| | (a) Special Deposit Scheme | | |
| 1,70,500.00 | As per last Balance Sheet | | 1,70,500.00 |
| 1,70,500.00 | (b) Short Term Deposit | | |
| | Monthly Income Certificate | | |
| 9,60,000.00 | As per last Balance Sheet | 13,00,000.00 | |
| 7,75,000.00 | Addition during the year | 9,00,000.00 | |
| 17,35,000.00 | | 22,00,000.00 | |
| 4,35,000.00 | | | |
| 13,00,000.00 | Less: Redeemed during the year | 13,00,000.00 | 9,00,000.00 |
| | 2. Advances to Employees | | |
| 2,60,730.00 | As per Last Balance Sheet | 2,21,730.00 | |
| 1,40,500.00 | Addition during the year | 1,55,900.00 | |
| 4,01,230.00 | | 3,77,630.00 | |
| 1,79,500.00 | Less: Redeemed during the year | 1,94,680.00 | 1,82,950.00 |
| 2,21,730.00 | | | |
| | 3. Closing Balance as on 31.3.97 in Saving Bank Accounts | | |
| 51,668.28 | | | 2,24,798.28 |
| 51,668.28 | | | |
| 17,43,898.28 | TOTAL | | 14,78,248.28 |